अंक ३

संख्या १

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha (First Session)

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

हिन्दी संस्करण

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सची

समिति के निर्वाचिन—

केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री पर्षद् [पृष्ठ भाग २४२७]

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् [पृष्ठ भाग २४२७—२४२८]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८—२४२९]

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् [पृष्ठ भाग २४२९—२४३०]

विनियोग (रेलवेज) संख्या २ विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग २४३०—२४३५]

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित [पृष्ठभाग २४३५—२४७७]

सारभूत वस्तुयें (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक—प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त [पृष्ठ भाग २४७७—२४९२]

(मूल्य ६ आने)

391 PSD

लोक सभा

शनिवार, १२ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा नौ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न तथा उत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गए, भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री सुन्दरैया का तथाकथित भाषण

श्री बी० शिवा राव (दक्षिण कनड़ा—दक्षिण) श्रीमान्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रक्रिया नियमों, के नियम १९९ के अधीन मुझे एक बात कहने की अनुमति दी है जो मेरे विचार में विशेषाधिकार समिति के एक विशेषाधिकार से संबंध रखती है ।

यह कहना आवश्यक नहीं कि आप द्वारा निर्मित समिति की कार्यवाही का कोई भी भाग समय से पहले या अनधिकृत रूप से प्रकाशित होने की आशा नहीं की जाती । मैं आपका और सदन का ध्यान एक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका प्रकाशन अनधिकृत या समय से पहले प्रकाशन से कहीं अधिक गंभीर है ।

लगभग दो या तीन सप्ताह पहले आप ने मेरे माननीय मित्र सदन में साम्यवादी दल के नेता श्री गोपालन के एक वक्तव्य के आधार पर डा० सत्य नारायण सिन्हा द्वारा सदन पटल पर रखे गये कुछ प्रलेखों की प्रमाणिकता का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा था । अभी तक इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी । कुछ दिन पहले मैं ने "टाइम्स आफ इंडिया" में इस संबंध में समिति की कार्यवाही की ओर निर्देश देखा । उस पत्र के ५ जुलाई के संस्करण में साम्यवादी दल के नता श्री सुन्दरैया के तथाकथित भाषण का काफी व्यौरे वार समाचार है । इस में लिखा है :

> "संसद में डा० सिन्हा के आरोपों के संबंध में श्री सुन्दरैया ने कहा कि संबद्ध प्रलेख झूठे, धोखेबाजी पूर्ण और जाली हैं और संसद की विशेषाधिकार समिति ने अपनी जांच लगभग समाप्त कर ली है और डा० सिन्हा के लिए इस स्थिति से निकलना दूभर हो रहा है ।"

मैं इस पूर्वधारणा को लेकर चल रहा हूं कि श्री सुन्दरैया ने जो कुछ कहा, यह समाचार उसे काफी हद तक ठीक रूप से पेश करता है । यदि मेरी पूर्वधारणा ठीक है तो यह समाचार बहुत ही आपत्तिजनक है । मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाता हूं जिस से कि प्रक्रिया नियमों के नियम २०३ के अधीन कार्यवाही की जा सके ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय): श्री सुन्दरैया ने यह भाषण कहां दिया था ?

श्री बी० शिवा राव : मोगा (पंजाब) में ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में श्री शिवा राव का यह कहना नहीं है कि समाचार में, सुन्दरैया द्वारा कही गई बातें ठीक ठीक दी गई हैं। मेरा विचार है कि प्रत्यक्षतः यह मामला ऐसा है जो विशेषाधिकार समिति के सामने जाना चाहिये और वह विशेषाधिकार के प्रश्न के साथ ही साथ इस पर भी विचार कर सकती है । निस्संदेह वह यह भी देखेगी कि समाचार ठीक है या नहीं और यदि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो समिति को क्या सिपारिश करनी चाहिये ।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा–रक्षित – अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम समाचार पत्रों में छपने वाली किसी बात का भी ख्याल करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । माननीय सदस्य का प्रश्न सर्वथा अप्रसंगोचित है । हम समाचार पत्रों में छपी "किसी" भी बात का ख्याल नहीं कर रहे ।

श्री वैलायुधन : आप ने ऐसा ही निर्णय दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । समाचार में स्पष्ट रूप से श्री सुन्दरैया का नाम आया है कि उन्होंने ऐसे मामले के संबंध में कुछ बातें कहीं जो विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन हैं । इस समिति की रिपोर्ट हमें नहीं मिली । इसलिए मेरे विचार में इस की जांच करना आवश्यक है । इसलिएं मैंने कहा कि समिति यह देखेगी कि क्या श्री सुन्दरैया ने सचमुच एंसा कहा और यदि कहा तो क्या उस से विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है और वह सदन को अपनी रिपोर्ट देगी । अन्त में सदन निर्णय करेगा ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्री सुन्दरैया सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : भारत संघ का कोई भी व्यक्ति सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जहां तक विशेषाधिकारों का प्रश्न है । कोई भी व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, सदन या उसके किसी सदस्य की प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई बात नहीं कह सकता और न उनके विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है । ऐसा भ्रम नहीं रहना चाहिये कि कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर ऐसी बात कर सकता है कि वह सदन का सदस्य नहीं ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या समिति "टाइम्स आफ इंडिया" वालों की जिम्मेदारी के प्रश्न पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो समिति का काम है । वह इस बात की जांच करेगी कि श्री सुन्दरैया ने ये बातें कहीं । यदि उन्होंने सचमुच नहीं कहीं तो ज़िम्मेदारी "टाइम्स आफ इंडिया" पर आती है ।

समिति का निर्वाचन

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के लिये नामनिर्देशन देने की तिथि तक ६ नाम आए, बाद में ४ सदस्यों ने अपने नाम वापिस ले लिए । इस प्रकार दो स्थानों के लिये दो ही नाम रहे । इसलिए मैं निम्नलिखित दो सदस्यों के विधिवत चुने जाने की घोषणा करता हूं :

१. डा० सत्यावान राय
२. डा० एस० ए० एबनज़िर

भाषावार प्रान्तों सम्बन्धी संकल्प

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री तुषार चैटर्जी द्वारा ७ जुलाई १९५२ को रखे गये भाषावार प्रांतों संबंधी संकल्प पर और चर्चा करेगा । जसा कि माननीय सदस्य जानते हैं भाषणों की सीमा १५ मिनट की है । चर्चा में संशोधन भी सम्मलित हैं ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव के सिद्धान्त का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इस सिद्धांत से हम कांग्रेस-वादी सभी सहमत हैं । परन्तु यह प्रस्ताव जो यह चाहता है कि इस मामले का निबटारा फौरन किया जाय, मेरा यह विनम्र मत है कि इसका निवटारा वतमान परिस्थिति में तत्काल नहीं किया जा सकता ।

मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां दो भाषाएं बोली जाती हैं, एक हिन्दी और दूसरी मराठी और जहां तक भाषा के आधार पर प्रांतों के विभाजन का संबंध है मैं उस सारे आंदोलन मे जो कि सन् १९२० से इस संबंध में किया गया कुछ न कुछ संबंध रखता हैं । मैं भाषावार प्रांतों की रचना का बहुत वड़ा समर्थक रहा हूं और आज भी हूं । जहां तक इस समय के प्रदेशों की रचना है, यह बात स्वीकार करनी होगी कि यह विभाजन हमें अंग्रेज़ी राज्य की देन है । जिस प्रकार अंग्रेज़ी भाषा हम पर लादी गई और उससे पिंड छुड़ाना हमारे लिये एक समस्या वना हुआ है उमी प्रकार प्रांतों की वर्तमान रचना का भी हाल है । किमी भी दृष्टि से हम देखें तो हमें यह रचना दोषपूर्ण दिखाई देती है । एक और उत्तर प्रदेश के सदृश विशाल प्रदेश मौजूद है और दूसरी तरफ कुर्ग, अजमेर और दिल्ली के प्रदेश हैं । शासन की दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से, हमारी संस्कृत और इतिहास की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से वर्त्तमान विभाजन को जल्दी हो या देर से हमें समाप्त कर, नया विभाजन करना होगा और माननीय प्रधान मंत्री जी मुझे क्षमा करें यदि मैं यह कहूं कि यह विभाजन केवल किमी एक विशिष्ट प्रांत का नहीं हो सकता, हमें समूचे भारतवर्ष को अपने सामने रखकर इस विभाजन पर विचार करना होगा । भाषावार प्रांतों के विभाजन के विरोध में जो वातें कही जाती हैं, वे मेरी दृष्टि में केवल दो हैं । पहली बात यह है कि इससे प्रांतीयता वढ़ेगी और झगड़े वढ़ेंगे । म समझता हूं कि यह ग़लत है । झगड़े इस समय हैं। भाषावार प्रांतों की रचना से वे समाप्त हो जायेंगे । दूसरी बात यह कही जाती है कि इससे प्रांतों की संख्या वहुत वढ़ जायगी और आर्थिक तथा शासन को दृष्टि से इतने अधिक प्रांतों का संचालन करना वड़ी कठिन बात होगी ।

मेरा इस विषय में नम्र निवेदन यह है कि यह भी गलत है और इस के कुछ प्रमाण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । भाषावार प्रांतों की रचना से प्रांतों की संख्या यथार्थ में नहीं वढ़ेगी । केवल तीन प्रदेश इस समय ऐसे हैं जिन में यह समस्या उठती है, एक मद्रास, दूसरा वम्बई का और तीसरा मध्य प्रदेश । अव इस समय जो मांग भाषावार प्रांतों के विभाजन की है उसके अनुसार मद्रास के चार प्रांत बनते हैं एक के स्थान पर; लेकिन यदि आप इस पर थोड़ा ध्यान दें तो आप को मालूम होगा कि अभी भी मद्रास के तीन प्रांत मौजूद हैं एक मद्रास दूसरा ट्रावनकोर-कोचीन और तीसरा मैसूर । अव यदि मद्रास प्रांत के टुकड़े किये जाते हैं तो मद्रास में जहां कन्नड बोली जाती है वह क्षेत्र मैसूर के साथ जायगा जहां मलयालम बोली जाती है वह क्षेत्र ट्रावनकोर-कोचीन के साथ जायेगा और तामिल और तेलगू के दो प्रांत होंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान मद्रास के यदि टुकड़ किये गये, तो एक के चार प्रांत नहीं बनेंगे वल्कि इस समय

[सेठ गोविन्द दास]

जो तीन प्रांत हैं उनके चार प्रांत हो जायेंगे। अब हम बम्बई को लेलें। बम्बई में इस समय तीन भाषाएं बोली जाती हैं, मराठी, गुजराती और कन्नड। इस समय भी बम्बई के दो प्रांत हैं एक बम्बई है और दूसरा सौराष्ट्र। अगर भाषावार प्रांतों की रचना हो तो बम्बई में जहां कन्नड बोली जाती है वह हिस्सा मैसूर के साथ चला जायगा, सौराष्ट्र और गुजरात एक हो जायेंगे। महाराष्ट्र का हिस्सा मध्य प्रदेश में जहां मराठी बोली जाती है उसके साथ हो जायगा जिस का मतलब यह हुआ कि बम्बई प्रांत के टुकड़े होने पर वहां कोई प्रांत नहीं बढ़ता। मध्य प्रदेश एक प्रांत है। यदि भाषावार उसका विभाजन हुआ तो जहां मराठी बोली जाती है, वह भाग पूना के साथ चला जायेगा और जहां हिन्दी बोली जाती है उस भाग को मध्य भारत और विन्ध्य प्रदेश से मिलाकर और उत्तर प्रदेश के चार जिले झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा को ले कर एक वृहत् प्रांत की रचना हो सकती है। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश वाले अपने यह ज़िले नहीं भी देना चाहते तो हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। यदि उत्तर प्रदेश वाले अपने ज़िले नहीं देना चाहते तो भी मध्य प्रदेश के हिन्दी ज़िले और विन्ध्य प्रदेश तथा मध्य भारत को मिलाकर एक बड़ा प्रांत बनाया जा सकता है। इस प्रकार यदि हम यथार्थ में देखें तो भाषावार प्रांतों की रचना से भारतवर्ष में केवल एक प्रदेश मद्रास का बढ़ता है, इसके अलावा कहीं और कोई प्रदेश नहीं बढ़ता।

अध्यक्ष महोदय: मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्य आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। हमें चाहिये कि जो माननीय सदस्य बोल रहा हो उस की बातें ध्यान से सुनें चाहे उस से सहमत न हों।

डा० पी० एस० देशमुख (अमरावती—पूर्व): श्रीमान्, हम उनके सुझावों की कदर करते हैं।

सेठ गोविन्द दास: बल्कि कुछ प्रांत उलटे घट जाते हैं जिससे एक फ़ायदा और होता है कि जो इस समय छोटे छोटे प्रांत हैं और जहां पर आर्थिक अड़चनों के कारण उन का पूरा विकास नहीं हो सकता जैसे विन्ध्य प्रदेश सरीखे प्रांत, उनका भी आर्थिक तथा शासन की दृष्टि से उत्कर्ष किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति। जब माननीय सदस्य सदन को संबोधित करते हैं तो सदस्यगणों को बीच में बोलने का प्रोत्साहन मिलता है। आप अध्यक्ष महोदय को संबोधित करें।

सेठ गोविन्द दास: अध्यक्ष महोदय, कुछ और ऐसे छोटे छोटे प्रांत हैं जो रह नहीं सकेंगे। पैप्सू, हिमाचल प्रदेश और पंजाब कितने छोटे २ प्रांत हैं। इन प्रांतों का एकीकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार दिल्ली कुर्ग, अजमेर और भोपाल यह सब अलग कैसे रह सकते हैं। मेरी समझ के बाहर की चीज है। जब तक हम समूचे भारतवर्ष का मानचित्र या नकशा अपने सामने रखकर न बैठें और इस विषय का कोई न कोई निबटारा न करें तब तक हमें यह एक बड़ा भारी प्रश्न अवश्य दिखता है और जटिल प्रश्न दिखता है, लेकिन यदि हमने इस पर ध्यान दिया तो मेरा यह विश्वास है कि इस विषय को हम निबटा सकते हैं।

अब यदि भाषावार प्रान्तों की रचना को हम दूसरी दृष्टि से देखें तो भी हमें मानना पड़ेगा कि भाषा का मानव संस्कृति और इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। मानव में और सृष्टि के जो दूसरे प्राणी हैं उन में यदि

कोई सब से बड़ा अन्तर है तो वह यह है कि निःसर्ग ने मानव को ज्ञान शक्ति दी है जो दूसरों को नहीं दी और उस ज्ञान शक्ति का विकास वह भाषा का आश्रय ले कर भाषा का आधार ले कर करता है। आज हमारे ऊपर अंग्रेजी भाषा लदी हुई है। पंद्रह वर्ष के भीतर हम अंग्रेजी से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। केन्द्र में तो चाहे पंद्रह वर्ष के अन्दर अंगरेजी से पिंड छूट जाय परन्तु यदि भाषावार प्रान्तों की रचना न हुई तो मद्रास में आप क्या करेंगे, बम्बई में आप क्या करेंगे। मैं अपने प्रान्त की कठिनाइयां आप को बतलाता हूं। हमारे प्रदेश का जो सेक्रेटेरियेट है, वहां से हम अंगरेजी को निकालना चाहते हैं लेकिन वहां यह प्रश्न उठता है कि सेक्रेटेरियेट का काम हिन्दी में चले या मराठी में चले। दोनों भाषा में तो चल नहीं सकता। इसलिये यह एक ऐसा प्रश्न भी है जिसको हमें अपनी संस्कृति और इतिहास की दृष्टि से और यदि अंगरेजी को पंद्रह वर्षों में हम इस देश से निकालना चाहते हैं तो उस दृष्टि से देखना होगा।

अब यदि आप यह मानते हैं कि भाषावार प्रान्तों की रचना सम्भव नहीं है तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरह हमने रेलों के सम्बन्ध में किया है उसी तरह हम सारे भारतवर्ष के पांच टुकडे कर दें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तथा मध्य भारत। इस तरह से हम इस विषय का निबटारा कर दें। इस में भाषावार प्रान्तों की रचना का प्रश्न ही नहीं उठेगा और आर्थिक तथा शासन व्यवस्था की दृष्टि से और सभी दृष्टियों से यह पांच टुकड़े इतने बड़े बड़े होंगे कि हम उनका विकास सहज में कर सकेंगे।

जहां तक भाषा का सम्बन्ध है वहां तक जिन प्रान्तों में एक से अधिक भाषायें है वहां पर हम उन भाषाओं के अलग अलग विश्व-विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। उन विश्व-विद्यालयों में उस भाषा के कालेज, हाई-स्कूल और अन्य स्कूल हों। जैसे बम्बई में तीन भाषायें हैं मराठी, कन्नड और गुजराती। वहां पर तीन विश्व विद्यालय हों। अभी दो तो हैं, एक मराठी का, दूसरा गुजराती का। उन विश्वविद्यालयों के द्वारा उन राज्यों की शिक्षा की व्यवस्था करें और शिक्षा की व्यवस्था कर के जो जिस माध्यम के द्वारा अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहता हो उसको हम उसी माध्यम से शिक्षा दें किसी भी तरह अंगरेजी हमारे ऊपर न लदी रहे इसका पूरा ध्यान रक्खें।

यह विषय जटिल विषय माना जाता है, कुछ दूर तक जटिल है भी। संसार की इस समय की जो परिस्थिति है, हमारे देश की इस समय जो परिस्थिति है, हमारी सरकार को जितनी समस्याओं का सामना करना है यह सब देखते हुए मैं इस विषय पर सरकार के ऊपर कोई ज़ोर नहीं डालना चाहता। मैं मानता हूं कि जो प्रस्ताव इस समय रक्खा गया है वह इस समय की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। लेकिन इस के साथ साथ जैसा मैं ने निवेदन किया, मैं भाषावार प्रान्तों की रचना का बड़ा भारी समर्थक रहा हूं और आज भी हूं, और मेरा मत है कि आज या कल या परसों जल्दी या देर से हमें इस विषय को निपटाना होगा और जब हम इस विषय को निबटाने के लिये बैठेंगे उस समय केवल एक प्रान्त या एक हिस्से पर विचार न करके सारे देश पर विचार करेंगे। मैं प्रधान मंत्री जी से कहता हूं कि मैं उन से सहमत नहीं हूं कि हम एक आध स्थान से जहां से इसकी मांग आये उसी को देख लें। मैं तो कहता हूं कि सरकार को सारे भारतवर्ष का मानचित्र ले कर बैठना पड़ेगा और इस सवाल को निपटाना पड़ेगा।

[सेठ गोविन्द दास]

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं इस प्रस्ताव का तो विरोध ही कर रहा हूं पर विरोध करते हुए मैं प्रधान मंत्री जी से यह अवश्य कहना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि आज या कल या कभी न कभी हमें इस विषय को हाथ में लेना चाहिये और जिस प्रकार गोपालस्वामी आयंगर जी ने रेलवे के मामले को ले कर एक साहसी कदम उठाया है उसी तरह हमें इस मामले में एक साहसी कदम उठाना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : यह बड़ा नाज़ुक प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि भावुकता दिखाए बिना इस पर विचार किया जाय । यह बात कांग्रेस ने ही उठाई थी और अब यह उस के लिये एक समस्या बनी हुई है । भाषा को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता परन्तु इन दोनों का अटूट सम्बन्ध भी नहीं । हम देखते हैं—स्विटज़रलैंड का ही उदाहरण लीजिये—कि एक देश में कई भाषायें बोली जा सकती हैं । स्विटज़रलैंड के जर्मन भाषा बोलने वाले या फ़्रेंच भाषा बोलने वाले जर्मनी या फ़्रान्स के साथ मिलने को तैयार नहीं हैं । यही हाल बेल्जियम का है । परन्तु जब हम वर्षों से यह कहते आ रहे हैं कि देश के प्रान्त या राज्य भाषा के आधार पर होने चाहियें तो हम इस समस्या को सुलझाने की ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते । परन्तु इस में निहित खतरों को नहीं भूलना चाहिये ।

इस सदन ने हिन्दी को राजभाषा माना है । किसी राज्य की सरकार द्वारा हिन्दी के प्रसार को रोकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु जब किसी हिन्दी प्रधान राज्य में कोई और भाषा बोली जाती है तो हम आशा करते हैं कि हिन्दी प्रधान प्रदेश के लोग सहनशीलता दिखायेगे ।

मैं बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के बीच होने वाले विवाद की ओर संकेत कर रहा हूं । १९०५ में बंगाल का विभाजन, वहां की राजनीतिक जागृति के विरुद्ध दण्ड के समान था जिस से कि बंगाली हिन्दुओं का राजनीतिक प्रभाव बढ़ने न पाए । इस पर आन्दोलन हुआ जिसे बाद में कांग्रेस ने अपने हाथ में लिया । अंग्रेजों को विभाजन समाप्त करना पड़ा परन्तु उन्होंने इस बात का ध्यान रक्खा कि विभाजन का अभिप्राय फिर भी पूरा हो जाय । उन्होंने कुछ बंगला भाषी प्रदेश बिहार में ही रहने दिये । विभाजन १९११ में समाप्त किया गया । उस वर्ष कांग्रेस के सम्मेलन में डा० तेज बहादुर सप्रू का यह प्रस्ताव पास किया गया कि बिहार के बंगला भाषी प्रदेश बंगाल को लौटा दिए जायें । बिहार के कांग्रेसी नेता श्री परमेश्वर लाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था । बृटिश सरकार ने भी घोषणा की कि प्रान्तों की सीमायें अस्थायी हैं और बाद में ठीक कर दी जायेंगी । इस प्रस्ताव के पास होने के दो या तीन सप्ताह बाद जनवरी १९१२ में बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं ने जिन में श्री सच्चिदानन्द सिन्हा, श्री दीप नारायण सिन्हा, श्री परमेश्वर लाल आदि थे, एक वक्तव्य में कहा कि सन्थाल परगनों के बंगला भाषी प्रदेश बंगाल में मिला दिये जायें और हिन्दी भाषी प्रदेश बिहार में रहें । छोटा नागपुर के सम्बन्ध में मानभूम का सारा ज़िला, और सिंहभूम ज़िले का दालभूम परगना बंगला भाषी होने के कारण बंगाल में मिला दिया जाय ।

इन क्षेत्रों में बंगला भाषा के दमन की कार्यवाहियां की जा रही हैं । यहां के कुछ प्रारम्भिक स्कूलों में बंगला पढ़ाई भी नहीं जाती । बिहार के कुछ प्रमुख कांग्रेसी,

डा० राजेन्द्र प्रसाद सहित, जब उन क्षेत्रों में जाते थे तो बंगला में भाषण दिया करते थे। अब बिहार सरकार कहती है कि ये हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं। मैं हिन्दी भाषी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कोई अन्य भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यकों से उदारतापूर्ण व्यवहार करें।

बंगाल में लाखों हिन्दी भाषी व्यक्ति हैं और मेरे विचार में उन में और कलकत्ता के बंगला भाषा लोगों में कोई मनमुटाव नहीं है। पिछले वर्ष उत्तरी बिहार में दुर्भिक्ष सा पड़ने पर लाखों लोग वहां से बंगाल में आ गए और बंगाल में अनाज की कमी होने पर भी इन को आने से रोका नहीं गया। मैं चाहता हूं कि बिहार के नेता उक्त क्षेत्रों में बंगला को उस का उचित स्थान दिलायें।

इस सम्बन्ध में चुनाव के फल भी देखिये। मेरे विचार में छोटा नागपुर में कांग्रेस को धारासभा के चुनाव में एक तिहाई से अधिक स्थान नहीं मिले, क्यों ? इसलिये कि वहां के हिन्दी भाषी लोगों ने बड़ी धृष्टता का रवैया अपनाया है। सन्थाल परगना में भी कांग्रेस को चुनाव में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली क्योंकि वहां भी भाषा की समस्या है। इसलिये कांग्रेस तथा बिहार के नेताओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिये। हिन्दी भाषी धृष्टता या गर्व करने लगेंगे तो हिन्दी के हित को क्षति पहुंचेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को याद दिला दूं कि प्रश्न हिन्दी बनाम दूसरी भाषाओं का नहीं बल्कि भाषावार प्रान्तों का है।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुज्जफरपुर मध्य) : इस पर तो माननीय सदस्य अपनी राय बता चुक हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के लिये इस प्रकार चर्चा करना गलत है।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा निवेदन यह है कि भिन्न क्षेत्रों में इस समस्या का भिन्न रूप है। बिहार में भिन्न भिन्न भाषाओं के बीच विवाद है।

अध्यक्ष महोदय : जब आप बिहार तथा बिहार की बंगला भाषी जनता की बात कह रहे थे तो मैं ने सोचा कि आप कह रहे हैं कि भाषावार प्रान्तों का न बनना बुरा है। अब आप हद से आगे बढ़ गये हैं और "हिन्दी बनाम अन्य भाषाएं" यह प्रश्न रख रहे हैं।

श्री ए० सी० गुहा : मैं यह कहूंगा कि भाषावार प्रान्तों के प्रश्न से हमारी राष्ट्रीय एकता को खतरा है। कुछ मिनट पहले सेठ गोविन्द दास कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रान्त के कुछ क्षेत्रों के साथ मिला कर एक नया प्रान्त बना दिया जाय तो हिन्दी भाषी मित्रों ने विरोध प्रकट किया था। अरब देशों की भाषा अरबी ही है फिर भी वे आपस में लड़ते हैं। मेरा विचार है कि राज्यों का आधार भाषा को ही मान लिया जाये तो हिन्दी भाषी जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। उस स्थिति में हिन्दी भाषी राज्यों की संख्या ५ या ६ हो जायगी। वे यह नहीं मानेंगे कि एक या दो हिन्दी भाषी राज्यों में ही भारत की सारी हिन्दी भाषी जनता आ जाय। इसलिये सारे राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना व्यवहार्य नहीं है। तो यह समस्या हल कैसे होगी। मैं यह कहूंगा कि सरकार को सारे प्रान्तों का आधार आर्थिक प्रशासनीय या भूमि की ऊंचाई निचाई के हिसाब से बनाना चाहिये।

मैं (बृटेन के) मंत्रिमण्डल मिशन द्वारा १६ जून १९४६ को रखी गई प्रस्थापना की ओर भी संकेत करना चाहता हू। वह

[श्री ए० सी० गुहा]

कुछ क्षेत्र या दलों के सम्बन्ध में थी और सेठ गोविन्द दास भी कुछ वैसी ही बात की ओर निर्देश कर रहे थे। मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार इस प्रस्थापना के अनुसार राज्यों के स्थान पर राज्यों के दल चाहेगी या नहीं। इस समय तो भाषावार प्रान्तों की समस्या के हल होने में बड़ी कठिनाइयां हैं। यदि कभी सीमा आयोग बनाया गया – और यह शीघ्र ही बनाना चाहिये – तो उसे यह काम देना चाहिये कि भाषावार राज्यों के स्थान में राज्यों के दल हों। वे दल राज्यों के संघों के रूप में हों। मेरे विचार में यह इस समस्या का अधिक व्यवहार्य हल होगा।

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति): मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं परन्तु मेरा विचार है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसे तत्काल ही कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। भाषावार प्रान्त बनाने की बात तो मान ली गई थी और कभी न कभी ये बनाने ही पड़ेंगे। इस देश के अधिकतर राज्य तो भाषावार हैं; हां कहीं कहीं कुछ फेर बदल करनी ज़रुरी है। आंसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, राजस्थान और पंजाब सब में अपनी अपनी भाषा है। उड़ीसा में भी उड़िया भाषा है। दक्षिण तथा बम्बई में कुछ परिवर्तन करना होगा। बम्बई में महाराष्ट्र, करनाटक तथा गुजरात हैं। गुजरात तथा सौराष्ट्र को मिला कर महागुजरात या महासौराष्ट्र बनाया जा सकता है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। बन भी जाय तो एक ही राज्य बढ़ेगा। केवल तीन ही राज्यों, बम्बई, मध्य प्रदेश और मद्रास का ही पुनर्विभाजन करने की बात है। इतने राज्य पहले से ही हैं, कुछ और बढ़ जायं तो देश भाषा के आधार पर बंट जायगा। यह न सोचिये कि छोटे छोटे बहुत से राज्य बन जायेंगे जैसे कि अंग, बंग, कालिंग विदर्भ आदि, ५० के लगभग राज्य थे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्विभाजन हो भी तो राज्यों की संख्या में अधिक से अधिक तीन की वृद्धि होगी। बम्बई को ही लीजिये। करनाटक वाला मैसूर तथा कुर्ग के साथ मिला कर एक जातिय करनाटक राज्य बना दिया। मैसूर चूंकि पहले से ही एक राज्य है, राज्यों की संख्या नहीं बढ़ेगी। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है वह एक अलग राज्य होगा। मुझे आशा है कि महाविदर्भ की मांग कुछ समय के लिये छोड़ दी जायगी—मुझे आशा है कि महाविदर्भ महाराष्ट्र में मिलेगा क्योंकि भाषा एक सी है। मेरे मित्र डा० देशमुख का विचार है कि उन्हें फौरन ही इस प्रदेश के टुकड़े करने का अधिकार है। यह विचार ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के बाकी भाग की समस्या का हल तो पानी में पानी मिलाने वाली बात है। यानी बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश में मिला दिया जायगा। यहां बैठ कर भाषा के आधार पर देश का विभाजन करना तो आसान है लेकिन इस में कठिनाई कितनी है, एक हिन्दी भाषी प्रदेश दूसरे हिन्दी भाषी से कितना भिन्न है। मैं ने अपने माननीय मित्र सेठ गोविन्द दास की इस बात का समर्थन किया था कि उत्तर प्रदेश का एक भाग महाकौशल के उत्तरी भाग के साथ मिला कर उत्तर प्रदेश जैसा ही एक बड़ा हिन्दी भाषी राज्य बना दिया जाय।

सेठ गोविन्द दास: श्रीमान, मैं एक बात कहूं? मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं कि हमारे महाकौशल के सब जिले उत्तर प्रदेश में मिला लिये जायें। वह बड़े भाई हैं, उन्हें ज्यादा मिल जाय उस में कोई हर्ज नहीं है।

श्री एम० ए० अय्यंगार : हम दक्षिण वालों को इस बात का भय है कि ऐसा होने पर उत्तर प्रदेश चाहे वह भाषावार राज्य ही हो, इतना बड़ा हो जायगा कि बाकी सब राज्यों पर छा जायगा।

करेल के सम्बन्ध में तो एक ही जिला है मालाबार का, जो मद्रास से अलग करके त्रावन्कोर कोचीन में मिलाया जा सकता है।

अब मैं आंध्र पर आता हूं, जिस की स्थिति ही भिन्न है, पहले उड़ीसा एक ओर बिहार से और दूसरी ओर आंध्र से अलग था परन्तु कोरापट तथा सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्र तेलूगू भाषी है, जो उड़ीसा के साथ मिला दिया गया है । इसी प्रकार बिहार और बंगाल की बात है । बिहार के पूर्व के क्षेत्र बंगाल में मिलने चाहियें । हमें चाहिये कि जो कुछ कहते हैं उस पर कार्य भी करें। भाषावार प्रदेश बनाने ही हैं तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो किसी राज्य की सीमा पर हैं परन्तु सीमावर्ती राज्य की भाषा बोलने वाले, उन क्षेत्रों के निवासी हैं तो वे उक्त सीमावर्ती राज्य में मिला देने चाहियें । उड़ीसा और आंध्र और बिहार और पश्चिमी बंगाल की समस्या तो यही है ।

जब मुझे उन कठिनाइयों का ध्यान आता है, जो इस समस्या को सुलझाने में उठानी पड़ेंगी तो मैं कांप उठता हूं । कुछ समय पहले मालाबार के कुछ केरल लोग एक्य केरल चाहते थे । त्रावन्कोर और कोचीन के मिला देने से इन दोनों के लोगों के बीच झगड़े हो रहे हैं । कोचीन वाले कहते हैं कि त्रावन्कोर कोचीन विधान सभा में उन के प्रतिनिधियों की संख्या काफ़ी नहीं है इसलिये वहां गड़बड हो रही है । इसे ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव यह है कि अभी हम इस विचार को देश में फैलने देंजिस से कि यह लोगों के दिल में समा जाय । । यदि कोई इस संकल्प का विरोध करता है तो सिद्धान्त के आधार पर नहीं वरन् इस लिये कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन होने के बाद हम इसे संगठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो क्या भाषा के आधार पर विभाजन ठीक होगा ? हमारे सामने बहुत सी समस्यायें हैं । कभी तो मालूम होता है कि अभी युद्ध छिड़ा और कभी ऐसा लगता है कि युद्ध नहीं होगा । ऐसे विकट समय हम क्या देश को भाषा के आधार पर बांटने बैठेंगे ? इसलिये मैं यह संकल्प रखने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे इन सब बातों का ध्यान रखें । वे यह सोचें कि वह समय ऐसा संकल्प रखने के लिये उपयुक्त है या नहीं । सम्भव है कि हम इसी पीड़ी में इस समस्या को हल कर सकें । मुझे उड़ीसा के तेलुगू लोगों और बिहार के बंगालियों के साथ सहानुभूति है। इस समस्या को तो हल करना ही होगा परन्तु अभी इस का उपयुक्त समय नहीं आया ।

कहीं आप यह न समझ लें कि मुझे आंध्र वालों से सहानभूति नहीं है, इसलिये मैं इस सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं । १९३८ में मैं आंध्र महासभा का प्रधान था और मैं ने अलग आंध्र प्रान्त की मांग की थी। यह बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है । संयुक्त हिन्दू परिवार में झगड़ा तभी होता है जब भाइयों की पत्नियां आपस में लड़ने लगती हैं । दक्षिण भारत में आंध्र और तामिल बोलने वालों का झगड़ा ऐसा ही है ।

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : झगड़ा पत्नियों ने उत्पन्न किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इस प्रकार बोलना और सारी चर्चा को मजाक समझना जैसे कि हम कोई नाटक कर रहे हों, बुरी बात है । मुझे इस बात से बड़ी निराशा

[अध्यक्ष महोदय]

होती है कि सदन ऐसे गम्भीर मामले को हंसी की बात समझे ।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (जिला कानपुर दक्षिण व जिला इटावा पूर्व) : जब भाइयों की पत्नियों की बात कह दी जाय तो चर्चा में हास्य का पुट आ ही जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें चाहिये कि या तो गम्भीरतापूर्वक इस मामले पर विचार करें या चर्चा बन्द कर दें । प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि उस की बात ध्यान-पूर्वक सुनी जाय । । यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है और हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

श्री एम० ए० अय्यंगार : आंध्र प्रांत के लिए तो ४० वर्ष से आन्दोलन चल रहा है हैदराबाद का कुछ भाग मिलाकर विशाल आंध्र न भी बनाया जाय तो भी आर्थिक दृष्टिकोण से आंध्र प्रांत उचित इकाई होगा । कांग्रेस ने कई स्थानों पर यह बात मानी है और मद्रास विधान परिषद ने भी इस संबंध में कई संकल्प पास किये थे । दो वर्ष पहले लगता था कि आंध्र प्रांत बन ही जायगा । लेकिन मद्रास नगर को आंध्र में मिलाने या उस का एक भाग आंध्र और दूसरा तामिलनाड में मिलाने के प्रश्न पर बात रह गई । संसद में आंध्र के सदस्यों ने यह मान लिया कि अभी मद्रास नगर की चिंता नहीं करनी चाहिये । हम लोगों ने कहा था कि प्रांत पूर्ववत रहे परन्तु उस के आंध्र ज़िले अलग कर के आंध्र प्रांत बना दिया जाय । दुर्भाग्यवश कुछ मित्रों ने भूख हड़ताल की और स्थिति बिगड़ गई, बना कुछ भी नहीं । कुछ लोगों ने मद्रास नगर को अपना बताया और आंध्र तथा तामिलनाड वालों ने भी यही मांग की । हम चाहते थे कि मद्रास नगर का प्रश्न ही बाद में उठाया जाय । आखिर मद्रास नग कहीं भागा तो नहीं जाता ? आंध्र प्रांत बनने पर हमारे अपने मंत्री तथा गवर्नर होंगे और हम केन्द्रीय सरकार पर ज़ोर डाल कर कह सकेंगे कि मद्रास नगर का कुछ भाग आंध्र प्रांत में मिला दिया जाय या उसे मुख्यायुक्त का प्रांत बना दिया जाय । परन्तु हमारे मित्रों ने संतोष नहीं किया ।

इसी बीच रायलासीमा के ज़िलों में अकाल पड़ा । वहां अकाल पड़ता ही रहता है । लोगों ने सोचा कि आंध्र प्रांत बन गया तो वह एक छोटी इकाई बन जायेगा और रायलासीमा के विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलेगा । इसलिये वे नहीं चाहते कि आंध्र, मद्रास प्रांत से अलग हो, फ़ौरन ही आंध्र प्रांत बनाने के विरुद्ध विचाराधारा है । यह मामला किसी एक के व्रत रखने से तै नहीं होगा । राजा जी ने भी एक दिन कहा था कि वे आंध्र प्रांत के विरुद्ध नहीं हैं । प्रधान मंत्री ने कहा है कि आंध्र का तो मामला ही भिन्न है क्योंकि इस के लिये बहुत दिनों से आन्दोलन चल रहा है । इसलिए सभी आंध्र सदस्यों को —वे सदन में हों या उसके बाहर— चाहिये कि एक ऐसा हल निकालें जो सभी को स्वीकार्य हो । हमें यह मांग नहीं करनी चाहिए कि मद्रास नगर आंध्र का भाग बने उसे या तो मुख्यायुक्त का प्रांत बना दिया जाय । तीसरा विकल्प यह है कि इसे दक्षिण भारत या तामिलनाड में रखा जाय । डा० लंका सुन्दरम् को यह स्वीकार नहीं (**डा० लंका सुन्दरम्** : हां) तो हमें दूसरे दो विकल्पों को देखना चाहिये । मेरा विश्वास है कि ऐसा हो जाय तो प्रधान मंत्री भी हमारी बात पर ध्यान देंगे ।

संकल्प सामान्यतः सब के लिए है और मुझे खेद है कि मैं इस का पास होना स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय: श्री बी० महाता।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : हम ने कुछ संशोधन रखे हैं। हमें अवसर मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय: आप को पिछली बार अवसर नहीं मिला ?

श्री एस० एस० मोरे: नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अवसर मिलेगा परन्तु आवश्यक नहीं कि सभी को मिले।

श्री एस० एस० मोरे : संशोधन रखने वालों की संख्या बहुत कम है। प्राथमिकता मिलनी है तो हमें मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा आश्वासन दे दूं तो संशोधनों की भरमार हो जायेगी। मैं विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि व्यक्तियों को बोलने दूंगा। मैं ने इन महोदय को इसलिए बोलने का अवसर दिया है कि वे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते और दूसरे वे ऐसे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं जो जन जाति क्षेत्र जैसा है। हमें देखना चाहिये कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों का इस प्रश्न पर क्या कहना है।

श्री बी० महाता (मानभूम दक्षिण व धालभूम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मानभूम वासी हूं और मेरी भाषा बंगला है। मैं अंग्रेज़ी जानता नहीं हूं इसलिये जो कुछ यहां होता है वह मैं नहीं समझता। जेल के अन्दर मैंने थोड़ी बहुत हिंदी सीखी है और इस के बाद भी कोशिश कर रहा था लेकिन वहां पर कुछ हिंदी प्रेमी लोग हैं जो हमारी भाषा को दबाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इसलिए मैं हिंदी से घबरा गया हूं और मेरे हिन्दी सीखने में बड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन चूंकि यह हमारी राज्य भाषा रक्खी गई है इसलिये मैं टूटी फ़ूटी हिंदी में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। अगर गलती हो तो आप क्षमा करेंगे।

बात यह है कि मैं मानभूम का बाशिन्दा हूं ही इसलिये मानभूम के विषय में भाषा के ऊपर विभाजन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मानभूम में भाषा के बारे में बड़ा दमन चल रहा है इसलिये मैं चाहता हूं कि इस के बारे में कोई फैसला हो जाये तो समूची जनता को जो तकलीफ में है बहुत शांति मिले।

मैंने पहले कहा है कि हिन्दी भाषा को हमारी बंगला भाषा पर लादा जा रहा है। मैं जहां ज़हां जाता हूं और जहां जहां इस प्रश्न पर बात होती है देखता हूं कि भाषा के बारे में लोग कहते हैं कि यह बहुत विभेद (वैषम्यता) की बात है यह प्रादेशिकता (प्रांतियता) की बात है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि यह प्रादेशिकता वाद है। मैं कांग्रेस में काम करता था। हमारे ज़िले में कांग्रेस के कार्यकर्त्ता और हमारे पूज्य नेता अतुल बाबू जिनको यहां के बहुत से मेम्बर जानते होंगे उनकी शिक्षा में हज़ारों आदमी एक झुंड में मिलकर काम कर रहे हैं। भाषा के बारे में कांग्रेस का जो प्रस्ताव है उसको देखते हुए—और गांधी जी की जो शिक्षा है उस पर विचार कर के देश के शासन की सुविधा के लिये यह बात मैं ज़रूर अनुभव करता हूं कि भाषावार प्रांत ज़रूरी हैं। लेकिन इस तरह का विचार रखते हुए भी मैंने इस प्रश्न को नहीं उठाया। क्योंकि हम देखें कि यह भाषावार विभाजन का जो प्रश्न है यह हमारे आल इंडिया का भारतवर्ष के नेतृ वर्ग का है और वही इसको तय करेंगे। यदि यह नहीं तय होगा इसके बारे में कोई फैसला नहीं होगा तो हम देखते हैं कि जनता में हर एक जो प्राविन्शल सीमायें हैं वहां के लोगों में विप्लव हो जाने की संभावना है।

इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इस काम को जल्दी से जल्दी किया जायेगा तो जो

[श्री बी० महाता]

इतना बड़ा विप्लव होने वाला है वह नहीं होगा। लोग हमसे कहते हैं कि हम प्रादेशिकता करते हैं। परन्तु उनको स्वयं प्रादेशिकता करने का मौक़ा मिल गया है और वह प्रादेशिकता कर रहे हैं। वह लोग किसी न किसी प्रकार हमको अपने राज्य में रखने की चेष्टा कर रहे हैं और हम से कहते हैं कि हम प्रादेशिकता करते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो दूसरी भाषा बोलने वाले हिंदू हैं उनके साथ मैजारिटी वाले बुरा व्यवहार करते हैं और उनको सताते हैं। ऐसा ही वर्ताव इस देश में उन राज्यों में उन लोगों के साथ किया जाता है जो कि उस राज्य के किसी अंचल में रहते हैं। पर दूसरी भाषा बोलते हैं आप हमारे मानभूम को ही लीजिये। जब कांग्रेस हाई कमांड की देहरादून में मीटिंग हुई थी तो हमारे नेताओं ने उन को बताया था कि मानभूम में बिहार सरकार कैसा काम कर रही है। लेकिन वह देखते हैं पर कुछ करते नहीं हैं। इसलिये होता यही है कि जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं को सताया जाता है उसी तरह हमको भी सताया जाता रहेगा। और जब तक इसका फैसला नहीं होगा यही हाल रहेगा। यहां के लोगों को जो कष्ट हो रहा है उसको आपको देखना होगा।

हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो झगड़ा है उसके लिये संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि आपस में मिलकर फैसला कर लिया जाय। पर हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि नहीं काश्मीर का फैसला तो काश्मीर के लोग ही करेंगे। इसी तरह कहा जाता है कि बंगाल और बिहार मिलकर इस झगड़े को तय कर लें। पर वह तो वादी और प्रतिवादी हैं और वह आपस में मिलकर वैसे ही फैसला नहीं कर सकते जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं कर सकते हैं। वह झगड़ा तो काश्मीर के लोग ही तय कर सकते हैं। यही मैं भी कहता हूं कि मानभूम का झगड़ा वहां वाले ही तै कर सकते हैं और बंगाल और बिहार वाले नहीं कर सकते हमारे नेताओं ने भी यह फैसला वहां की जनता पर ही छोड़ दिया है। यही बात हम सब से कहते हैं। हमारा यही कहना है कि जब तक इस झगड़े का फैसला नहीं होता है हमको किसी बाहर की जगह में जाने को कहा जाय तो हम जाने को तैयार हैं क्योंकि बिहार सरकार ने हमको इतना सताया है कि हमारा वहां रहना मुश्किल हो गया है। इसलिये मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जब तक आप इसका फैसला न करें आप हम को किसी दूसरी जगह रहने को इजाजत दे दें। मुझे यही कहना है।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर): मुझे हैरानी है कि तीस वर्ष तक भाषावार प्रांतों के लिये प्रचार करने और १९४६ तथा १९५१ में लोगों को इन के संबंध में वचन देने के बाद हम इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि एक दो व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी सिद्धांत के आधार पर इनका विरोध नहीं कर रहा है। यह कहा जाता है कि ऐसे प्रांत बनाने में कठिनाइयां हैं। मैं कठिनाइयों को समझ सकता हूं क्योंकि प्रत्येक उस बात को लागू करने में जिस का वचन दे दिया गया हो, कठिनाइयों का रोना रोया जाता है।

इस संबंध में मुख्य बात यह है कि एक दिन प्रधान मंत्री ने सदन में एक भाषण दिया जिस से मुझे हैरानी हुई। उन्होंने कहा: "सच तो यह है कि मैं भाषावार प्रांतों के संबंध में कभी चिंतित नहीं रहा। इस प्रश्न पर मेरे

निजी विचार हैं" । यह पहली बार है कि हम प्रधान मंत्री के मुख से जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसी बात सुन रहे हैं ।

१९४६ में कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ती थी उस के घोषणापत्र में कहा जाता था कि भाषावार प्रांत बनाने की बात पर शीघ्र ही कार्य होगा । १९४६ के घोषणापत्र में कहा गया है :

> "यह सदा इस बात के पक्ष में रही है कि जनता को अपनी इच्छानुसार प्रगति करने का अवसर मिले । प्रत्येक दल तथा राष्ट्र के प्रत्येक प्रदेश को अपने जीवन का विकास करने और संस्कृति का विकास करने दिया जाय । इस संबंध में इस ने यह कहा है कि जहां तक हो सके भाषा तथा संस्कृति के आधार पर प्रदेशों या प्रांतों का निर्माण हो ।"

यही नहीं । घोषणापत्र में कहा गया है :

> "भारत का संघ ऐसे भागों का होना चाहिये जो इस में रहना चाहते हों । इन भागों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देने के लिये यह आवश्यक है कि संघीय विषयों तथा ऐसे विषयों की संख्या कम से कम हो जिन पर केन्द्र तथा प्रांतों—दोनों का अधिकार हो । ऐसे सारे विषयों की भी सूची बनाई जाय जिसे संघ के भाग चाहें तो स्वीकार करें ।"

यदि १९५१ के चुनाव घोषणापत्र में यह कहा गया होता कि भाषावार प्रांतों का सिद्धांत तो मान लिया गया है परन्तु इसे कार्यान्वित करने में कठिनाइयां हैं, तो यह बात समझ में आ सकती थी परन्तु उस में कहा गया है :

> "भाषा के आधार पर प्रांतों के विभाजन की मांग भारत के पश्चिम तथा दक्षिण में बराबर की जा रही रही है । कांग्रेस ने कई वर्ष पहले भाषा वार प्रांतों का पक्ष लिया था । इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय तो संबद्ध लोगों की इच्छा पर निर्भर है । इस में संदेह नहीं कि भाषा संबंधी कारणों का आधार संस्कृति है, आर्थिक, प्रशासनीय तथा वित्तीय बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा । जिन क्षेत्रों में ऐसे मांग संबद्ध व्यक्तियों द्वारा सहमत होकर की जाय, संविधान द्वारा निर्धारित सभी कार्यवाहियां, जिन में सीमा आयोग की नियुक्ति भी है, की जायेंगी ।"

इसलिये जब प्रधान मंत्री कहते हैं कि वे भाषावार प्रांतों के संबंध में कभी चिंतित नहीं रहे तो निश्चय ही यह एक नई बात है । लोग तो यही सोचते थे कि किसी एक व्यक्ति के विचार चाहे कुछ हों कांग्रेस ने १९४६ तथा १९५१ में उन से वादा किया था कि इस संबंध में कुछ कार्यवाहियां की जायंगी । अब यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं कि इन वचनों को कार्यान्वित करने या कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा पास किये गये संकल्पों को कार्य रूप देने की चिंता नहीं है । मैं देख रहा हूं कि इस वचन की तोड़ा जा रहा है । आज वे कहते हैं कि वे भाषावार प्रान्तों के सिद्धांत पर से सहमत नहीं । यह तो कार्यकारिणी ने पास किया है ।

कठिनाइयों की चर्चा करते हुए प्रधान मंत्री कहते हैं :

> " मैं इस विचार से बहुत प्रभावित हुआ हूं कि प्रस्तुत विकट स्थिति में हमें सब से अधिक महत्व इस

[श्री ए० के० गोपालन]

बात को देना चाहिये कि भारत में एकता की भावना बढ़े। यह भावना बढ़ने तक जो भी बात इस में रुकावट डालती है, स्थगित रखी जाय। मैं स्पष्ट कह दूं कि इसी कारण मैं ने कोई कार्यवाही नहीं की है।"

संकल्प में स्पष्ट कहा गया है : "राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्विभाजित करने के लिये तत्काल ही कार्यवाही की जाये और उसी के अनुसार प्रस्तुत राज्यों की सीमाओं को ठीक ठीक किया जाय"। यह बात भारत की एकता के विरुद्ध कैसे हुई ? कठिनाइयां क्या हैं ? मुझे नहीं मालूम। हम सभी आंखें बन्द कर लें तो कह सकते हैं कि हम सब एक हैं। भारत को बहुभाषा भाषी राज्यों में तो हम ने नहीं बांटा भारत के साम्राज्यवादी शासकों ने बांटा है। उन का काम इसी से चलता था : आज प्रश्न यह है कि क्या भारत में एकता है ? देश का विभाजन आज जिस आधार पर है क्या उससे एकता में सहायता मिलती है ? बिल्कुल नहीं। यदि मालाबार के कुछ भाग त्रावन्कोर-कोचीन में मिला दिये जायें तो उस से एकता की भावना बढ़ेगी, फूट नहीं पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना है। बंगाली किसी अन्य बंगाली से मिलेगा तो बंगला में बातें करेगा; यही बात मराठों, पंजाबियों या तामिल वालों में है। अपनी भाषा में बात कर के एकता की भावना दृढ़ होती है। वास्तविकता तो यह है।

जयपुर कांग्रेस द्वारा पास किये गये प्रस्ताव में यह कहा गया है कि यह विभाजन तो अंग्रेजों ने किया है और इसी कारण हमें इस प्रश्न को अपने हाथ में लेना है। रिपोर्ट में कहा गया है :

"कांग्रेस द्वारा इस सिद्धान्त के मान लिये जाने का कुछ कारण यह भी है कि भारत में अंग्रेजी शासकों ने बनावटी ढंग से प्रान्त बनाए थे। एक ही संस्कृति वाले क्षेत्र बनाने की इच्छा का आधार यही है कि ऐसे क्षेत्र तेजी से प्रगति करेंगे।"

तो १९४६ में स्पष्ट रूप से उपर्युक्त बात कही गई थी। आज सच्ची वास्तविकता क्या है ? ऐक्य करेल या विशाल आंध्र तथा अन्य राज्यों के आन्दोलनों के पीछे लोगों की यह इच्छा निहित है कि वे इकट्ठे हों। प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह पंजाबी बंगाली या तामिल का है। वह यह नहीं सोचता कि वह भारत का अंग है और भारत की समृद्धि सारे भारतीयों की एकता पर निर्भर है। यह तो एकता की भावना नहीं है। परन्तु आज यदि मालाबार या तेलेंगाना के एक भाग के लोग अन्य लोगों के साथ मिल जायें तो उन में यह भावना उत्पन्न नहीं होती कि अन्य लोगों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी भावना हो तो उन्हें भारतीय नहीं समझा जा सकता। अंग्रेजों के शोषण के कारण हम सब एक हो कर उन के विरुद्ध लड़े थे और हम में एकता की भावना थी। इसी प्रकार मैं देखता हूं कि लोगों में इस बात की उत्कट इच्छा थी कि जो अंग्रेजों द्वारा एक दूसरे से फिर अलग कर दिये गये थे फिर इकट्ठे हों और मिल कर प्रगति करें। कांग्रेस कार्य कारिणी ने इस बात को स्वीकार किया था और १९४६ में स्पष्ट रूप से कहा था कि लोगों तक पहुंचने का एक ही रास्ता यह है कि उनके साथ उन की भाषा में बात की जाय। पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में भी आप लोगों में उस समय तक उत्साह पैदा नहीं कर सकते

जब तक कि आप उनसे उनकी भाषा में बात न करें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं । प्रधान मंत्री ने कहा था :

> "वैसा ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू यह है कि देश में बड़ी महत्वपूर्ण भाषायें हैं। भाषा अपने आप में अच्छी हो या बुरी, उस के आधार पर सोचने और रहन सहन का ढंग बनता है । इसलिये इस सांस्कृतिक पहलू के विकास का अवसर मिलना चाहिये।"

प्रधान मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही : "मेरा विचार यह है कि हैदराबाद के टुकड़े होना बहुत बुरी, हानिकारक तथा दुर्भाग्य की बात होगी "। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि यह हैदराबाद के लोगों के लिये नहीं वरन निज़ाम के लिये दुर्भाग्य की बात होगी और इस से हैदराबाद के जागीरदारों तथा देशमुखों को हानि पहुंचेगी प्रधान मंत्री इस प्रश्न पर जनमत ले लें । मेरा विश्वास है कि हैदराबाद के अधिकतर लोग यही कहेंगे कि उन्हें इस से हानि नहीं होगी ।

प्रधान मंत्री ने सब से महत्वपूर्ण बात यह कही है कि हदराबाद के टुकड़े होने से दक्षिण भारत का सारा ढांचा ही अस्तव्यस्त हो जायेगा । मुझे इस से हैरानी हुई । यदि आप पिछले चुनाव के फ़ल को देखें तो आप को पता चलेगा कि मालाबार से विधान सभा की ३० जगहों में से कुल ४ कांग्रेस ने जीती और बाकी २६ कांग्रेस विरोधियों ने । यदि केरल को अलग प्रान्त बना दिया जाय और उस की विधान सभा बने तो प्रस्तुत सरकार अस्त व्यस्त हो जायगी, क्योंकि सम्भव है कि वहां ग़ैर-कांग्रेस सरकार बन जाय । यदि प्रधान मंत्री का अभिप्राय यह था तो उन की आशंका ठीक ही है ।

कहा जाता है कि भाषावार प्रान्त बनाने में कठिनाइयां हैं परन्तु क्या सरकार ने और कठिनाइयां हल नहीं कीं ? और भी समस्यायें तथा मतभेद हैं । जब भी कोई मतभेद होता है हम चुनाव लड़ते हैं । इस का मतलब यह नहीं कि हम में फ़ूट है । आज हमें यह करना चाहिये कि एक सीमा आयोग बनायें, एक सम्मेलन बुलाना चाहिये जिस से कि हम कोई समझौता कर सकें। यदि इस प्रकार कुछ न हो सके तो हमें चाहिये कि सारी समस्या जनता के सामने रख दें । यही एक रास्ता है ।

यह कहा जाता है कि यदि हम इस समस्या को हल करने की चेष्टा करें तो देश में फ़ूट पड़ जायगी । मैं कहता हूं कि आप इस फ़ूट को बढ़ने दे रहे हैं । आंध्र, तामिल और दूसरे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं । क्या आप चाहते हैं कि वे लड़ते रहें । या तो आप माननीय गृहकार्य मंत्री से भाषावार राज्यों के निर्माण के सम्बन्ध में एक विधेयक रखने को कहें और या लोगों को परस्पर लड़ता हुआ देखें । भारत के दक्षिणी भाग में कुछ लोग भाषावार राज्यों के साथ ही साथ देश के विभाजन की भी मांग कर रहे हैं। सरकार की ढील की नीति के कारण ऐसी बातें, झगड़े और आन्दोलन बढ़ रहे हैं। मेरा विचार है कि यदि सरकार इस समस्या को हल करने के लिये कुछ नहीं कर सकती तो इसे जनता के सामने रखे । लोगों का फ़ैसला करने दे । यदि अधिकतर लोग चाहते हैं कि मद्रास तामिलनाड या आंध्र का भाग बने तो बनने दीजिये । परन्तु प्रधान मंत्री का भाषण बिल्कुल ही उलट था । प्रधान मंत्री कहते हैं – "मैं इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं था । परन्तु कांग्रेस यह चाहती है, इस के रास्ते में कठिनाइयां हैं "। कठिनाइयां तो सदा

[श्री ए० के० गोपालन]

होती हैं। किस सरकार के सामने कठिनाइयां नहीं हैं। आप इस प्रकार कठिनाइयों का रोना रोते रहेंगे तो यह समस्या कभी भी हल नहीं होगी।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और कहता हूं कि यदि सरकार अपने वचनों का पालन नहीं करेगी तो, जैसे कि एक माननीय सदस्य ने कहा, लोग प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अंग्रेज़ कहा करते थे कि हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट है, हमारे चले जाने के बाद वे आपस में लड़ेंगे। परन्तु भारत की जनता ने लड़ कर आज़ादी ले ली। इसी प्रकार आज यदि भाषावार प्रान्त नहीं बनते हैं तो—जहां भी ऐसे प्रान्तों की मांग है, चाहे वह पंजाब बंगाल या कोई और क्षेत्र हो — लोग संघर्ष करेंगे और सरकार अगले ६ महीनों में कुछ करने का वचन देने के स्थान पर कोई ऐसा विधेयक पास करने पर विवश हो जायेगी जिस से कि वायुसेना या नौसेना द्वारा लोगों को कुचला जा सके। मुझे आशा है कि सरकार इन बातों का ध्यान रखेगी और तत्काल ही कोई कार्यवाही करेगी। मैं इस संकल्प का ज़ोर दार समर्थन करता हूं।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : भाषावार प्रान्तों की मांग दिन-प्रति-दिन तीव्र होती जा रही हे। इस की उपेक्षा करना ठीक नहीं।

त्रिचूर में एक सम्मेलन मेरे सभापतित्व में हुआ था जिस में केरल प्रान्त की मांग की थी। बृटेन में भारत के प्रधान प्रदेष्टा श्री कृष्ण मेनन जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। दो वर्ष बाद एक और सम्मेलन हुआ जिस में यह मांग की जानी थी कि मालाबार को भी त्रावनकोर-कोचीन में मिला दिया जाय और इस प्रकार केरल प्रान्त बना दिया जाय। सम्मेलन में यह मांग अस्वीकार कर दी गई। केरल प्रान्त का आधार भाषा नहीं है। यह बहुत पुराना विचार है। इस प्रान्त में त्रावनकोर कोचीन के तामिल भाषी ताल्लुके दक्षिणी कन्नड़ के तूलू तथा कन्नड़ भाषी प्रदेश तथा मलयालम भाषी क्षेत्र भी हैं।

प्रस्तुत प्रान्तों का पुनर्विभाजन होना चाहिये इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं। एक दिन एक मित्र ने यह सुझाव दिया कि भारत का नक़्शा ले कर क्षेत्रों की नाप जोख कर प्रान्तों को पुनर्विभाजित कर दिया जाय जैसा कि अमरीका में किया गया था। सदन के नेता ने कहा था कि अच्छे प्रशासन के दृष्टिकोण से छोटे छोटे प्रान्त नहीं बनाने चाहियें। परन्तु उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रान्त को तोड़ कर छोटे छोटे २ या अधिक प्रान्त बना दिये जायं तो प्रशासन में सुविधा रहेगी।

केरल प्रान्त की समस्या को ही लीजिये। मालाबार में आबादी कम घनी है। पिछले तीन या चार बर्ष में त्रावन्कोर के लगभग २ लाख किसान, जिन के पास भूमि नहीं थी, मालाबार में चले गये। यदि मालाबार को त्रावन्कोर में मिला दिया जाय तो यह समस्या हल हो जायगी।

भाषावार प्रान्तों का पक्ष लेने वाले भी सम्प्रदाय वादियों की तरह कट्टरपन्थी होते जा रहे हैं। आंध्र और तामिल वाले मद्रास नगर को अपने अपने प्रस्तावित प्रान्तों की राजधानी बनाना चाहते हैं। करेल प्रान्त चाहने वाले एक महानुभाव ने न केवल मद्रास नगर की मांग की थी बल्कि यह भी कहा था कि मद्रास से मंगलौर तक रेलवे लाइन के साथ साथ ३०० मील का रास्ता भी केरल प्रान्त को दिया जाय। ये बेहूदगी की बातें हैं।

करनाटक प्रान्त चाहने वाले मालाबार के एक ताल्लुके बैयानद को भी मिलाना चाहते

हैं जहां चाय, काफी, काली मिर्च, दारचीनी आदि उत्पन्न होती है। शायद उनके ऐसा चाहने का कारण यह है कि कुछ वर्ष पहले मैसूर से कुछ गोदाम मालाबार चले गये थे। ये लोग चाहे मलयालम बोलते हैं पर शायद कन्नड़ भाषा को भी भूले नहीं हैं। तामिल लोग त्रावनकोर का एक भाग चाहते हैं और साथ ही पेरमुदु और देवीकुलम का भी दावा करते हैं जहां उद्यान हैं। इन उद्यानों के मजदूर पश्चिमी घाट से लाए गये हैं। यदि कोचीन, त्रावनकोर और मालाबार को मिला कर एक भाषा-भाषी प्रान्त बना दिया जाय तो इसे घाटा ही रहेगा। इस प्रान्त को सदा केन्द्रीय सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। परन्तु यदि त्रावनकोर-कोचीन मालाबार दक्षिणी कन्नड़ कुर्ग तथा नीलगिरी को मिला कर पश्चिमी घाट पर एक प्रान्त बनाया जाय तो वह आत्मनिर्भर प्रान्त होगा। इसलिये मैं भाषा के आधार पर यह प्रान्त बनाने की मांग नहीं करता हूं। इस क्षेत्र को परशुराम क्षेत्र भी कहते हैं। कहा जाता है कि यह परशुराम ने बसाया था। यह सच है कि एक समय समुद्र पश्चिमी घाट का एक भाग बहा कर ले गया था और बाद में समुद्र के पीछे हटने से मालाबार नाम का क्षेत्र रह गया। यह सारा क्षेत्र एक जैसा है और एक जैसी ही वस्तुयें इस में पैदा होती हैं। आशा है कि यह २१ हजार वर्ग मील क्षेत्रफल और १ करोड़ ६३ लाख की जनसंख्या का क्षेत्र आत्मनिर्भर होगा।

मैं यह नहीं कहता कि भाषा का महत्व नहीं है, मैं तो यह कहता हूं कि हमें यह देखना चाहिये कि भाषा के आधार पर बनाये जाने वाले प्रान्त प्रशासन तथा वित्त की दृष्टि से आत्मनिर्भर होंगे या नहीं। सदन के नेता ने कहा था कि हमें प्रस्तुत व्यवस्था को अस्त व्यस्त नहीं करना चाहिये। हम ने जमींदारी प्रथा, जाति प्रथा और अन्य बहुत सी बातों को अस्त व्यस्त किया तो अब इस व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने में क्या डर है। हम भाषावार प्रान्त बनाने का वचन दे चुके हैं। मैं तो केवल यह आपत्ति करता हूं कि भाषा के आधार पर हमें ऐसा प्रान्त नहीं बनाना चाहिये जिस का क्षेत्रफल कम हो, जनसंख्या कम हो या उस का विकास न हो सकता हो। भाषा के अतिरिक्त हमें अन्य बातों का भी ध्यान रखना है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन स्वीकार कर लिये जाने की प्रार्थना करता हूं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : इस सदन में पिछले दो दिनों में जो विचार प्रकट किये गये हैं उन से मालूम होता है कि यह मामला बहुत विवादग्रस्त है। संकल्प प्राप्त होने पर मैं ने यह सोचा कि इस समय भी क्या यह हमारे हित में नहीं कि हम अपनी भिन्नताओं के स्थान में अपनी अनुरूपताओं पर अधिक जोर दें। भाषा के प्रश्न से कई मामले उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग संस्कृति का भी प्रश्न उठाते हैं। मेरा विचार है कि हमारे देश में कई संस्कृतियां नहीं हैं बल्कि एक ही एकजातीय संस्कृति है। इस से यह प्रश्न उठता है कि यदि संस्कृति में कुछ भिन्नतायें हैं तो हम उन्हें स्थायी बना देंगे जिस से कि वे कुछ क्षेत्रों में रह जायें और उन का महत्व बढ़ता रहे या हम उन्हें एकता के आन्दोलन-रूपी समुद्र में डुबा देंगे। मेरे विचार में इस सदन को अपने सामने आने वाले सभी प्रश्नों को इसी कसौटी पर परखना चाहिये। यहां दिये गये अधिकतर भाषण कुछ समय पहले पास किये गये कांग्रेस संकल्प के आधार पर हैं। मैं उसे पढ़कर सुनाऊंगा (**अन्तर्बाधा**) तनिक धैर्य रखिये। उस संकल्प में कहा गया है :

" कांग्रेस इस बात के पक्ष में रही है
कि जनता को अपनी इच्छानुसार

[श्री श्यामनन्दन सहाय]

> अपना विकास करने का पूरा अवसर मिले। वह इस के पक्ष में रही है कि प्रत्येक दल तथा प्रादेशिक क्षेत्र को राष्ट्र में रहते हुए अपने जीवन तथा संस्कृति के विकास की स्वतंत्रता हो और उस ने कहा है कि जहां तक हो सके भाषा तथा संस्कृति के आधार पर ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र या प्रान्त बनाये जायें।"

मैं ने कांग्रेस संकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और इस से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कांग्रेस इस सम्बन्ध में कट्टरपंथी नहीं थी। संकल्प में तो यह कहा गया है : "जहां तक हो सके। इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां कोई वित्तीय या प्रशासनीय कठिनाई न हो वहां तो एक वर्ग के लोगों को साथ रहना है। परन्तु यह कहना समय से पहले की बात है कि सारा देश केवल भाषा के आधार पर बांट दिया जाय।

सितम्बर १९४४ में एक पत्रकार ने गांधी जी से पूछा था कि देश को भाषा के आधार पर क्यों न बांट दिया जाय ? गांधी जी ने अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा: "मुझे तो यह बात बड़ी वेतुकी तथा असम्भव लगती है। मुझे ऐसे पुनर्विभाजन की कोई भी आशा दिखाई नहीं देती।" पिछले वर्ष श्री राजगोपालाचारी ने इस सदन में बहस का उत्तर देते हुए कहा था :

> "दुर्भाग्यवश हम अभी तक सम्पत्ति की बात सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे राज्य के प्रादेशिक विभाजन का मतलब इतनी सम्पत्ति की हानि या लाभ का है। वास्तविक बात तो संचरण प्रशासन और सरकार के प्रभावी होने की है। एक और डर है भाषावार विभाजन का हम अपने को अलग इकाई समझने की अपनी इच्छा को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं।"

ये उन लोगों के अधिकृत विचार हैं जिन्हों ने देश के लिये इतना कुछ किया चाहे हम उन की राजनीति से सहमत न हों। उन में से कुछ सारी कठिनाइयां तथा समस्याओं को जानते हैं और कोई अस्पष्ट बात नहीं कहते। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि "अभी समय नहीं आया।" और इस सम्बन्ध में कहा भी क्या जा सकता है। आज भी प्रमुख वक्ताओं ने यही कहा है। श्रीमान्, आप को याद होगा कि संविधान सभा ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति बनाई थी जिस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डा० पन्ना लाल जो बाद में कार्यकारिणी परिषद् (वायसराय की) के सदस्य बने थे और श्री जगत नारायण लाल थे। इस समिति ने कहा था :

> "इसलिये यह कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रों जैसे भाषादल आजकल कहीं भी नहीं हैं। परन्तु ऐसे उपराष्ट्र बनाने की मंशा हो तो इन विभिन्न तत्वों को भाषावार प्रान्तों में इकट्ठा कर के ऐसे उपराष्ट्र बनाना सब से अच्छा ढंग होगा। स्वायत्त भाषावार राज्य का मतलब है कि वह पूर्णतया स्वतंत्र है और उस के राज्यक्षेत्र किसी के अधिकार में नहीं आते। और यदि किसी भाषावार प्रान्त में बहुमत के लोग सारे प्रान्त के राज्य

> क्षेत्र को अपना समझने लगें तो वह दिन दूर नहीं जब कि वे अल्पमत वालों को और प्रान्त से बाहर वालों को अपना नहीं समझेंगे। ऐसी अवस्था आने पर उस उपराष्ट्र को अपने आप को राष्ट्र समझने में अधिक देर नहीं लगेगी।"

मैं चाहता हूं कि सदन उन लोगों की राय पर ध्यान दे जिन्हों ने इस प्रश्न पर गहरा विचार किया है। ये विचार संविधान सभा जैसे निकाय द्वारा नियुक्त की गई समिति ने प्रकट किये हैं। इस मामले पर बहुत मतभेद है। व्यवहार्य दृष्टि से देखें तो चाहे आप जो भी करें ऐसे द्विभाषा भाषी क्षेत्र तो रहेंगे ही। सीमा पर तो दो भाषायें बोली ही जायेंगी। एक बार हम भाषा के आधार पर क्षेत्रों को बांटने लगें तो हमें यही पता नहीं चलेगा कि कहां रुकना है। भाषा तो हर ५० या सौ मील के बाद बदल जाती है। क्या हम इन विभिन्नताओं को स्थायी बना देंगे? बिहार में मैथिली तथा मगधी में बड़ा अन्तर है।

इसलिये मुझे यह निवेदन करना है कि भाषा, राज्यों के पुनर्विभाजन के लिये उपयुक्त कसौटी नहीं है। श्रीमान्, जैसा कि आप और दूसरे लोग कह चुके हैं अन्य बातों के साथ भाषा का भी ध्यान रखा जाय। यह बात अकेले भारत में ही नहीं है। स्पेन स्विट्ज़रलैण्ड, बेल्जियम और दक्षिणी अमरीका के राज्य —— इन सभी में, दो क्या कई कई भाषायें हैं परन्तु वहां उन देशों को भाषा के आधार पर बांटने का प्रयत्न नहीं किया गया है। नेपोलियन ने बेल्जियम का फ्रेंच भाषी प्रदेश फ्रांस में मिला लिया था परन्तु वहां क्रान्ति हुई और यह बात हटानी पड़ी।

बिहार बंगाल की सीमा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है मुझे लगता है कि दोनों ओर के लोगों ने तर्क के स्थान में भावुकता से अधिक काम लिया है। डा० मुखर्जी बहुत बड़े वक्ता हैं और वक्ता तर्क के स्थान पर भावुकता की बात अधिक करता है। (**एक माननीय सदस्य**: आप कैसे हैं?) हम साधारण मानव हैं और तर्क की बात करते हुए आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। बिहार वाले किसी बुरी भावना से इस पर आपत्ति नहीं करते। आप देखेंगे कि बिहार की कचहरियों में अभी तक श्री आशुतोश मुखर्जी के फ़ैसलों की गूंज है। सभी स्थानों पर आप देखेंगे कि अधिकतर बंगाली सिवाय इस बात के कि वे बिहारियों से कुछ अधिक मछली खाते हैं, बिहारी हैं। हम उन्हें बिहारी ही समझते हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि डा० मुखर्जी ने अपने भाषण में "रहने के स्थान" की चर्चा की। हिटलर की आत्मकथा "मार्द कैम्फ" पढ़ते समय मुझे यही शब्द दिखाई पड़ा। मैं हिटलर या डा० मुखर्जी की बातों की तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह विचार लोगों के मस्तिष्क पर कितना छा गया है। और इस से कितना विनाश हुआ है। डा० मुखर्जी ने यह भी कहा कि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में न मिला दिया जाता तो वे यह प्रश्न ही न उठाते। स्थिति यह नहीं है। १९१२ में बंगाल के मिला लिये जाने के बाद भी यह प्रश्न उठा था और मेरे मित्र श्री गुहा का कहना है कि विभिन्न लोगों ने इस का समर्थन किया था मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं बंगाली जनता के अभ्यावेदन का तत्कालीन भारत सरकार द्वारा भेजा गया उत्तर पढ़ कर सुनाता। यह अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया। बिहार और बंगाल के वित तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखिये तो पता चलेगा कि आजकल पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या अविभाजित बंगाल का ३५ प्रतिशत और क्षेत्र ३६ प्रतिशत है। डा० मुखर्जी ने कहा

[श्री श्यामनन्दन सहाय]

था कि पश्चिमी बंगाल में प्रतिवर्ग मील ८०६ व्यक्ति हैं। वे इस बात को भूल गये कि पश्चिमी बंगाल की २२ प्रतिशत जनसंख्या कलकत्ता तथा उस की बस्तियों में रहती है। यदि कलकत्ता को छोड़ दिया जाय तो पश्चिमी बंगाल में प्रति वर्ग मील उतने ही लोग रहते हैं जितने कि भारत के बाकी भागों में। अविभाजित बंगाल के लगभग सारे उद्योग कोयला लोहा आदि खनिज पदार्थ पश्चिमी बंगाल में हैं। ९९ प्रतिशत बिजली पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिमी बंगाल को विभाजन के फलस्वरूप यह कुछ मिला है और उस की आबादी २ करोड़ ४० लाख है। बिहार के कई ज़िलों में प्रतिवर्ग मील ११०० व्यक्ति रहते हैं। पश्चिमी बंगाल का राजस्व १९५०-५१ और १९४९-५० में ३२ और ३४ करोड़ रुपये था जबकि विभाजन से पहले सारे बंगाल का राजस्व ४४ करोड़ रुपये था। पश्चिमी बंगाल में प्रति व्यक्ति १४ रुपये खर्च होते हैं और बिहार में ५ रुपये।

डा० मुखर्जी ने मानभूम और सिंहभूम की ओर विशेष रूप से निर्देश किया। श्री गुहा ने कहा है कि शायद किसी समय ये ज़िले बंगाल में थे। ये भाग मुग़ल काल से बिहार में हैं और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह भाग बिहार सरकार के अधीन थे। लार्ड सिन्हा के बिहार का गवर्नर होने के समय प्रकाशित की गई दस वर्षीय रिपोर्ट में कहा गया था :

"जब शाह आलम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दीवानी दी तो मानभूम बिहार के अंग के रूप में बृटिश प्रभाव में आया।"

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में दायभाग नहीं बल्कि बिहार के और क्षेत्रों की तरह मिताक्षर कानून लागू होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वहां के बंगालियों पर भी यही लागू होता है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे अपने व्यक्तिगत कानून को नहीं लेते।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : वे अपने व्यक्तिगत कानून को लेते हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं उस ज़िले के उस भाग में चालू साधारण कानून की बात कर रहा हूं। मैं ने जनगणना के नये आंकड़े लिये हैं, मानभूम के धनबाद डिवीज़न में ८० प्रतिशत लोग हिन्दी भाषी हैं और पूरूलिया में ३५ प्रतिशत बंगला बोलते हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : आप कौन सी जनगणना को ले रहे हैं ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : १९५१ की।

डा० एस० पी० मुखर्जी : भरे हुए ६ लाख फ़ार्म गुम हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं यह नहीं जानता आरोप यह है कि पहले रिपोर्ट इस ढंग से तैयार की गई थी कि प्रतिशतता ८० तक हो गई थी।

डा० एस० पी० मुखर्जी : एक बार और जनगणना करा लीजिये।

श्री श्यामनन्दन सहाय : उस में कोई आपत्ति नहीं। आप चाहें तो जनमत ले लीजिये। पूर्निया में बंगलाभाषी ६ या ७ प्रतिशत भी नहीं। किशनगंज के बहुत से बंगला भाषी मुसलमान पाकिस्तान चले गये हैं। अब तो बंगलाभाषी लोग ९ प्रतिशत भी नहीं होंगे।

डा० एस० पी० मुखर्जी : आप को मालूम होना चाहिये कि १९२१ में वे ८० प्रतिशत थे।

श्री श्यामनन्दन सहाय : १९२१ के सम्बन्ध में मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं १९५१ की बात कर रहा हूं। उस दिन श्री हरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय कह रहे थे: "मैं आंध्र का हूं।" मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं ने सोचा : " यदि एक चट्टोपाध्याय आंध्र हो सकता है तो एक मुखर्जी बिहारी क्यों नहीं हो सकता ? " तो यह अन्तर है नहीं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : कोई सहाया बंगाली क्यों नहीं हो सकता ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : बिल्कुल ठीक। मैं आप से सहमत हूं। यही मुझे कहना है। अब भी मैं सदन से पूछता हूं कि ऐसे भेदभाव बनाये रखना ठीक है या नहीं। डा० मुखर्जी ने भी कहा था कि भाषावार प्रान्तों को स्थायित्व देने की आवश्यकता नहीं है। यह बड़ी कठिन समस्या है। बर्क ने हाउस आफ़ कामन्स में अपने एक भाषण में कहा था: "सत्ता प्राप्त करना आसान है, बुद्धिमत्ता प्राप्त करना कठिन है।"

डा० एस० पी० मुखर्जी : इसीलिये तो आप इस से लाभ उठाइये और हमारी बात मान लीजिये।

श्री श्यामनन्दन सहाय: ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है। हमें प्रार्थना करनी चाहिये कि वह हमें बुद्धि दे जिस से कि हम एक हो सकें और किसी मामले पर चाहे वह भाषा का ही मामला क्यों न हो अलग न हों।

श्री निजलिंगप्पा (चितलद्रुग) : बहुत से भाषण हुए हैं और अधिकतर वक्ता इस पक्ष में हैं कि भाषावार प्रान्त यथाशीघ्र बना दिये जायें। यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है और कांग्रेस कार्यकारिणी इसे बार बार दोहराती रही है। बंगलौर में कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र के फ़ौरन बाद सारी कांग्रेस समितियों की बैठक बंगलौर में हुई थी और १५ जुलाई १९५१ को एक सकल्प पास किया गया था जिस में इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की गई थी कि चुनाव घोषणापत्र में भाषावार प्रान्तों के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ व्यवहार्य कार्यवाहियों की ओर निर्देश किया गया है। संकल्प में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में दिये गये वचन के अनुसार निश्चित कार्यवाहियां करनी चाहिये जिन में सीमा आयोग की नियुक्ति भी एक है। ख्याल है कि सम्बद्ध लोग इस आयोग के निर्णय को स्वीकार कर लेंगे। संकल्प में यह सम्बद्ध प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियों से अनुरोध किया गया था कि जहां तक सम्भव हो परस्पर सहमत हों जायें और आयोग के निर्णय के अनुसार चलें।

इस के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी ने मेरे कहने पर १२ अगस्त १९५१ को एक संकल्प पास किया। इस में कहा गया था कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में भाषावार प्रान्त बनाने का सिद्धांत फिर दोहराया है परन्तु साथ ही आर्थिक प्रशासनीय तथा वित्तीय बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। कार्यकारिणी का विचार है कि इस सम्बन्ध में दक्षिण भारत के सम्बद्ध पक्ष इस विषय पर सहमत हैं और तामिलनाड, करेल, करनाटक आंध्र तथा महाराष्ट्र की प्रदेश कमेटियों ने ऐसे प्रबन्धों को मान लिया है। संकल्प में कहा गया था कि इसलिये कार्यकारिणी का विचार है कि जब भारत सरकार को विश्वास हो कि सम्बद्ध लोगों में सहमति है तो वह इस मांग को कार्यन्वित करने तथा यथाशीघ्र सीमा आयोग नियुक्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे।

[श्री निजलिंगप्पा]

तो स्थिति यह है । मेरा विचार है कि भाषावार प्रांतों के निर्माण के विरुद्ध दिये गए भाषण असंगत हैं । लोग भाषावार प्रांत चाहते हैं तो उनकी मांग माननी ही पड़ेगी । इस में संदेह नहीं कि कठिनाइयां हैं परन्तु कठिनाइयां तो होती हैं । कठिनाइयां न रहें तो राष्ट्र आलसी हो जायगा । इसलिए हमें साहस से काम लेना चाहिये ।

श्री आर० एन० सिंह (जिला ग़ाजीपुर—पूर्व व जिला बलिया—दक्षिण पश्चिम) : इन में साहस नहीं है ।

श्री निजलिंगप्पा : जो देश आज़ादी ले सका है उसे इन कठिनाइयों के दूर करने में भी कोई असुविधा नहीं होगी ।

यह जानते हुए कि इस मांग पर अधिकतर लोग सहमत हैं मैं काका गाडगिल से पूर्णतया सहमत हूं । पंडित नेहरू ने कहा था कि इन प्रांतों में कुछ ऐसे स्थान होंगे जो साथ वाले प्रांतों में भी सम्मिलित किए जा सकते होंगे । यह ठीक है । जहां भी दो भाषावार प्रांत साथ साथ होंगे, वहां ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां दो भाषायें बोली जाती हों । उदाहरण के लिए मेरे प्रांत करनाटक के एक ओर आंध्र, दूसरी ओर महाराष्ट्र, तीसरी ओर तेलुगू क्षेत्र और चौथी ओर करेल है । इन क्षेत्रों में कन्नड़, तेलुगू, मराठी और मलयालम चारों भाषाएं बोली और समझी जाती हैं ।

यदि बुद्धिमान विवेकशील तथा मानवीय भावों के जानकार व्यक्तियों का सीमा आयोग बनाया जाय तो सीमाएं निर्धारित करने में कठिनाई नहीं होगी । और उन सीमाओं को लोग मान भी लेंगे । एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान होने के नाते मैं सरकार को और सब को विश्वास दिलाता हूं कि सीमाएं निर्धारित होने पर कोई भी झगड़ा नहीं होगा ।

इस में संदेह नहीं कि सीमा निर्धारित करते समय भाषा ही एकमात्र कसौटी नहीं है । हमें लोगों के विचार जानने चाहियें । सीमाएं निर्धारित करते समय हमें इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना पड़ेगा । हमें यह देखना होगा कि कोई प्रांत बना रह सकता है या नहीं, आवश्यकता से अधिक बड़ा या छोटा तो नहीं । ऐसा करते समय हमें भाषा के प्रश्न को ध्यान में रखना होगा ।

परन्तु यह देखने में, कि कोई प्रांत आर्थिक दृष्टिकोण से जीवित रह सकता है या नहीं, अधिक समय नहीं लगना चाहिये । आज कोई प्रांत निर्धन है तो संभव है कि इस का कारण यह हो कि उस के साधनों से पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा । करनाटक की स्थिति यही है । परन्तु लोगों की इच्छा इन सब बातों से ऊपर है ।

मैसूर तथा करनाटक के संबंध में जो भ्रम है मैं उसे दूर करना चाहता हूं । करनाटक प्रांत के निर्माण की मांग मैसूर और करनाटक दोनों ओर के लोगों द्वारा की जा रही है । १९१३ में आंध्र वालों ने आन्दोलन प्रारम्भ किया और १९१५ में करनाटक प्रांत की मांग प्रारम्भ हुई । मैसूर के लोगों ने ही यह मांग प्रारम्भ की थी । मैसूर के बहुत से लोग करनाटक में आ गए और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के आन्दोलन में भाग लिया । मैसूर में जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार बनाने का संघर्ष प्रारम्भ हुआ तो करनाटक के स्वयंसेवकों ने उस में सहायता दी । पहले तो मांग केवल करनाटक की थी । परन्तु जब हम एक दूसरे के निकट आए तो इकट्ठे होने की मांग बढ़ती गई ।

१९४६ में केन्द्र में अन्तरिम सरकार बनने के बाद दावणगिरि में करनाटक के हजारों प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ । एक संकल्प पास किया गया कि मैसूर तथा

हैदराबाद को छोड़कर बाकी क्षेत्रों का एक प्रांत बना दिया जाय । मैसूर के प्रतिनिधियों ने इस पर बड़ी आपत्ति की । परन्तु उन्हें मना लिया गया और प्रस्ताव पास कर दिया गया ।

मैसूर में उत्तरदायी सरकार बनने के बाद मैसूर के कांग्रेस जनों ने अपने लिए अलग प्रदेश कमेटी बनानी चाही । इस पर आपत्ति की गई तो ६ नवम्बर, १९४८ को बिरूर में मैसूर कांग्रेस कमेटी ने एक संकल्प पास किया जिस में कहा गया था कि जब तक मैसूर में एक अलग प्रशासन है, तब तक मैसूर में कांग्रेस की कार्यवाहियां करनाटक प्रदेश कमेटी की तदर्थ समिति द्वारा नहीं की जा सकतीं । मैसूर तथा करनाटक प्रांत के दूसरे भागों के इकट्ठा हो जाने पर अलग अलग कांग्रेस कमेटियों की आवश्यकता नहीं रहेगी । इस संकल्प में यह भी कहा गया था कि मैसूर कांग्रेस कमेटी भाषावार प्रांतों के पक्ष में है और इस बात को आवश्यक तथा अनिवार्य समझती है कि मैसूर के महाराजा के अधीन संयुक्त करनाटक बने ।

मैसूर की संविधान सभा के उद्देश्यों संबंधी संकल्प में भी कहा गया था कि मैसूर में निकटवर्ती क्षेत्रों को मिलाने का उपबन्ध भी होना चाहिये । भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए एक उप-समिति बनाई गई थी जिस की रिपोर्ट के बाद मैसूर कांग्रेस की कार्यकारिणी ने एक अन्तिम संकल्प पास किया । उस में कहा गया था कि कार्यकारिणी मैसूर कांग्रेस के इस विचार की पुष्टि करती है कि मैसूर के महाराजा के अधीन संयुक्त करनाटक प्रांत बनाया जाय ।

इस के बाद मैसूर के कुछ मित्रों ने मुझ से पूछा कि दूसरी ओर क्या किया गया है । यह आपत्ति थी कि मैसूर के महाराज को संवैधानिक प्रमुख क्यों माना जाय क्योंकि नेहरू-पटेल-पट्टाभि रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत संघ का कोई भाग राजप्रमुख के राज्य में नहीं मिलाया जा सकता । परन्तु १९५० में संविधान के स्वीकार किये जाने में आपत्ति नहीं रही । करनाटक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने पिछले वर्ष एक संकल्प पास किया जिस में मैसूर के महाराजा को करनाटक का संवैधानिक प्रमुख और बंगलौर को उस की राजधानी मान लिया गया था ।

यह दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि मैसूर के लोग इस प्रस्थापना के विरुद्ध हैं .....

श्री मादिया गौडा (बंगलौर दक्षिण) : राज्य के अधिकतर प्रतिनिधियों ने इसके विरुद्ध मत दिये हैं ।

श्री बासप्पा (टुमकुर) : ऐसे हस्ताक्षर प्राप्त करना आसान है ।

श्री निजलिंगप्पा : मैं तो एक कांग्रेस जन के नाते बात कर रहा हूं .....

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): सारे विरोधी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है ।

श्री निजलिंगप्पा : मैसूर वाले नहीं चाहते तो उन्हें घसीटा नहीं जा सकता । मैं उन्हीं के हित की बात कह रहा हूं । वे करनाटक के साधनों से लाभ उठा सकते हैं जब कि मैसूर खाद्य तथा कच्चे माल में आत्मनिर्भर नहीं है । जो भी हो अब समय आ गया है कि सीमा आयोग नियुक्त किया जाय और इन मामलों को तै किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० एन० देसाई ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : (कृष्णगिरि) : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि तामिलनाड तथा त्रावनकोर तामिलनाड के कांग्रेस सदस्यों को बोलने का अवसर मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभी को अवसर मिलेगा । श्री देसाई ।

श्री के० एन० देसाई (सूरत) : भाषणों में उस दिन महागुजरात की ओर निर्देश किया गया था । मैं उसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं । गुजरात कांग्रेस ने महागुजरात का नाम कभी नहीं लिया। महागुजरात यही है कि गुजरात सौराष्ट्र और कच्छ को मिला दिया जाय । दूसरी बात यह है कि गुजरात वालों ने भाषावार प्रान्त की मांग कभी नहीं की न ही हम ने कभी सौराष्ट्र के मिला लिए जाने पर ज़ोर दिया है ।

जो भी हो, महाराष्ट्र और करनाटक के हमारे मित्र बम्बई को कई भागों में बांटना चाहते हैं और हम उस में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते । परन्तु यह आसान काम नहीं है, सीमा स्थित क्षेत्रों के सम्बन्ध में बहुत वाद विवाद होगा । डांग क्षेत्र के सम्बन्ध में जो वाद विवाद चला था वह अन्तरिम संसद के सदस्यों को मालूम ही है । इस प्रश्न के निपटारे के लिए प्रधान मंत्री को एक समिति नियुक्त करनी पड़ी थी ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य प्रश्न बम्बई का है । महाराष्ट्र वाले बम्बई को महाराष्ट्र में देखना चाहते हैं (**एक माननीय सदस्य** : यह तो वही है) बम्बई के काफ़ी लोग इस बात का विरोध करेंगे । (**एक माननीय सदस्य** : व्यापारी और पूंजीपति) मेरे विचार में इस प्रश्न पर परस्पर समझौता सम्भव नहीं है इसलिए एक ही ढंग है और वह यह कि सीमा आयोग की नियुक्ति कर दी जाय । परन्तु अभी ऐसा करने का समय नहीं आया । इस की नियुक्ति से लोगों का ध्यान महत्वपूर्ण समस्याओं से हट जायगा । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अभी हमें चुपके हो कर बैठ रहना चाहिए ।

श्री अलगेशन (चिंगलपट) : शुक्र है कि ६ घंटे के वाद विवाद के बाद तामिल क्षेत्र के एक सदस्य को बोलने का अवसर तो मिला । मैं हैरान हो रहा था कि मद्रास नगर के सम्बन्ध में मद्रास नगर के किसी सदस्य ने भाषण नहीं दिया यद्यपि इस सदन में कई सदस्य हैं । वास्तव में तो वे मद्रास के लोगों के विचार प्रकट करेंगे ।

श्रीमान्, भाषावार प्रान्तों की मांग का रूप भावुकता है.न कि आर्थिक या राजनीतिक । लोग इस सम्बन्ध में बड़े उत्तेजित हैं और भूखहड़ताल कर रहे हैं । इसे सत्याग्रह कहा जाय या कुछ और—यह मैं नहीं जानता यह तो अपने भूतकाल को शानदार बताने वाली बात है । जब और कुछ नहीं रहता तो भाषा ही लोगों को उन की पिछली सफलताओं की याद दिलाती है । इसीलिए भाषा मनुष्य की भावनाओं को जागृत करती है । आंध्र के मेरे मित्र ईसाई युग से पहले के साम्राज्य के स्वप्न लेते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : साम्राज्यों के वे दिन लद गये ।

श्री अलगेशन : स्वप्न तो बाकी हैं । तामिल कवि अपने उन राजाओं के गुणों का बखान करते हैं जिन्होंने उत्तर के सरदारों को हराया था, लेकिन उन्हें जो हार हुई उसे वे भूल जाते हैं । वित्त मंत्री ने आयव्ययक की चर्चा का उत्तर देते हुए तीरूवल्लूवर की पुस्तक का उद्धरण दिया तो तामिल वालों को गर्व हुआ और वे खुशी से फूल उठे । यदि वित्त मंत्री तामिल क्षेत्र के लिए १० करोड़ रुपये की व्यवस्था भी कर देते तो शायद उन्हें इतनी प्रसन्नता न होती ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं ने २० करोड़ की व्यवस्था की थी ।

श्री अलगेशन : तो भाषा का जनता के दिल पर इतना प्रभाव है । सामने बैठने वाले हमारे मित्र इस से लाभ उठाने

से चूके नहीं हैं और भाषावार प्रान्तों का पक्ष लेने लगे हैं। भाषावार प्रान्तों की मांग करने में वे सब से आगे हैं। उन से यह पूछना चाहिए कि इस काम के लिए उन्होंने कितनी भाषाओं तथा बोलियों को मान्यता दी है। बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं, जिन की लिपि कोई नहीं है। फिर भी हमारे विरोधी मित्र बोलियों के आधार पर देश का विभाजन करने को उद्यत हैं। उन का बस चले तो देश को छोटे छोटे असंख्य टुकड़ों में बांट कर रख दें, जिस से कि देश में एकता न रहे। वे हमें प्रत्येक बोली का विकास करने को कहेंगे जैसे कि उन की पितृ भूमि में किया गया। जब उन का बस चलेगा तो कोई मतभेद रहेगा ही नहीं। भाषाएं भिन्न हुईं तो क्या है? सभी एक बात कहेंगे। इसलिए उन का लाभ इसी में है कि इस समय यह प्रश्न उठा कर देश को कमज़ोर बनाएं। इन से पूछना यह चाहिए कि अधिकाधिक केन्द्रीयकरण में विश्वास रखने वाले ये लोग विभिन्न भाषावार प्रान्तों के हाथ में सत्ता क्यों देना चाहते हैं।

आंध्र के प्रतिनिधियों ने यह कहा है कि जनता की राय जाननी चाहिए। जनता ने पिछले चुनाव में अपनी राय दे तो दी है। प्रधान मंत्री ने सदन को बताया है कि किस प्रकार एक प्रमुख आंध्र नेता के यह कहने पर, कि मद्रास नगर के बिना वह आंध्र प्रान्त नहीं चाहते, आंध्र प्रान्त बनते बनते रह गया। वे नेता चुनाव में खड़े हुए परन्तु लोगों ने उन के विरुद्ध अपना निर्णय दिया।

श्री बी० दास (जाजपुर–क्योंझर) : श्री प्रकाशम ने इस आधार पर चुनाव नहीं लड़ा था।

श्री अलगेशन : श्रीमान्, यही बात थी। लोगों ने जान लिया था कि यदि उन्होंने श्री प्रकाशम—मैं उन का नाम लेना नहीं चाहता था परन्तु माननीय सदस्य ने उन का उल्लेख कर ही दिया है—को चुना तो .....

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है। जो व्यक्ति संसद में न हो, उस की चर्चा करना उचित है?

उपाध्यक्ष महोदय : उन का नाम लेने में तो कोई बुराई नहीं, जब तक कि उन के सम्बन्ध में कोई आपत्तिजनक बात न कही जाय। (**अन्तर्बाधा**) शान्ति, शान्ति। यह मेरा निर्णय है।

श्री अलगेशन : लोगों ने उन्हें इसी लिए वोट नहीं दिए कि वे चुने जाने पर आंध्र प्रान्त के लिए मद्रास शहर की मांग करेंगे। आंध्र वाले बड़े भावुक हैं। तामिल वाले तो इतना शोर नहीं मचाते। आखिर क्यों? इसलिए नहीं कि वे अलग प्रान्त चाहते नहीं बल्कि इसलिए कि वे वास्तविकताओं को अच्छी तरह समझते हैं। आंध्र राज्य अलग हो भी जाय तो बाकी क्षेत्र एक राज्य रहेगा जिस में मलयाली और कन्नड़ लोग होंगे। हम उन्हें निकल जाने को तो कहेंगे नहीं।

मैं इस बात का एक उदाहरण देता हूं कि इस समस्या के हल न होने से कैसे रुकावटें पड़ती हैं। कुछ समय पहले डाक विभाग ने डाक के टिकटों पर कवियों के चित्र छापे थे। मैं ने संचारण उपमंत्री से पूछा कि तामिल कवि सुब्रामन्य भारती का चित्र क्यों नहीं छपा। उन्होंने उत्तर दिया कि हमें कोई तेलुगू कवि नहीं मिला जिस से कि हम तामिल तथा तेलुगू दोनों कवियों के चित्र छाप सकें। हम इसीलिए चाहते हैं कि इस प्रश्न का निपटारा शीघ्र हो।

उपाध्यक्ष महोदय : और भी कई माननीय सदस्यों को बोलना है ।

श्री अलगेशन : एक माननीय सदस्य ने आंध्र प्रान्त के लिए कोलार ज़िले की मांग की थी और इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव की ओर संकेत किया था । इस सम्बन्ध में नए प्रस्ताव में आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि मद्रास नगर पर आंध्र वालों का कोई अधिकार नहीं है । मुझे आशा है कि मद्रास नगर के सदस्यों को बोलने का अवसर मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का यह विचार है कि मद्रास के सदस्यों को पहले बोलना चाहिए था तो वे चुप रहते ।

श्री अलगेशन : आंध्र के पांच सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया है तो तामिलनाड के कम से कम दो सदस्यों को भी बोलने नहीं दिया जा सकता ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन के बारे में तो कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री वल्लातरास (पुदुकोटै) : ऐसे प्रश्नों पर हमारी पूरी बात सुनी नहीं जाती । यही मेरी शिकायत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वाद विवाद को ऐसे ढंग से चलाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि किसी को शिकायत न रहे । तामिलनाद वाले अलग प्रान्त नहीं चाहते उनका झगड़ा तो मद्रास नगर के सम्बन्ध में है । इसलिए तामिलनाद एक ही सदस्य को बोलने के लिए कहूं तो काफ़ी है ।

श्री नटेशन (तिरुवल्लूर) : प्रश्न तो यह है कि मद्रास नगर पर आंध्र वालों का कोई अधिकार नहीं है । इसलिए हमें बोलने दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो नकारात्मक बात है ।

श्री अलगेशन : मेरा समय लिया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दो बातें हैं । मुख्य तो यह है कि भाषावार प्रान्त बनें या नहीं और दूसरी यह कि अमुक क्षेत्र कहां जाय । मद्रास का प्रश्न तो सीमा सम्बन्धी झगड़ा है । इसलिए माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री वल्लातरास : श्रीमान्, नागरसोल तामिलनाड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि यह सीमा का झगड़ा है । प्रश्न तामिल प्रान्त के बनने या न बनने का नहीं है ।

श्री अलगेशन : मैं जवाहर – वल्लभ भाई – पट्टाभि रिपोर्ट की ओर निर्देश कर रहा था । मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि इस रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि मद्रास शहर और किसी प्रान्त में मिलेगा इसलिए वह आंध्र में ही मिलना चाहिए । मैं उस रिपोर्ट के कुछ संगत वाक्य पढ़कर सुनाऊंगा (**अन्तर्बाधा**) इस में कहा गया है :

> "नया भाषावार प्रान्त बनाने वाले लोगों को वही क्षेत्र स्वीकार करने चाहिएं जो स्पष्ट रूप से उस प्रान्त के पक्ष में हों । हमारा यह विचार है कि यदि आंध्र प्रान्त बनाया जाना है तो उस का पक्ष लेने वालों को मद्रास शहर के सम्बन्ध में अपने दावे छोड़ देने चाहिएं ।"

मद्रास शहर बम्बई शहर की तरह अलग प्रान्त नहीं बन सकता ।

डा० पी० एस० देशमुख : महाराष्ट्र बम्बई को कैसे छोड़ सकता है । आप मद्रास की बात कीजिए, बम्बई की नहीं ।

श्री अलगेशन : मैं तो रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जिस में उन्होंने कहा है कि बम्बई को अलग प्रान्त बनाया जा सकता है, मद्रास को नहीं । तो मद्रास नगर का क्या बनेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह जहां है वहीं रहेगा ।

श्री अलगेशन : मेरा निवेदन यह है कि यह तामिल क्षेत्र में मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सरदार हुक्म सिंह से बोलने के लिए कहूंगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैसूर के माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैसूर तथा करनाटक के मानमीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं । मैं माननीय मंत्री को १२-३० बजे बोलने को कहूंगा । तब तक तीन माननीय सदस्य दस दस मिनट तक बोल सकते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): सम्भव है कि मैं दस मिनट में अपना भाषण समाप्त न कर पाऊं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण प्रारम्भ तो कीजिये ।

सरदार हुक्म सिंह : मेरा विचार था कि जहां तक इस प्रश्न के सिद्धान्त की बात है सभी उस पर सहमत हैं । परन्तु अभी मैं ने कुछ सदस्यों को इस बात पर भी सन्देह करते देखा कि कांग्रेस ऐसे प्रान्त बनाने का वचन दे चुकी है । मुझे प्रधान मंत्री की यह बात सुन कर आश्चर्य हुआ कि चाहे एक भाग का मामला निपटाया जा सकता है वे सामान्य सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं । मेरा विचार है कि सिद्धान्त पर हमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए ।

कहा गया है कि कठिनाइयां हैं । प्रधान मंत्री ने माना कि १९२७ में मद्रास में कहा गया था कि कांग्रेस मानती है कि भाषावार प्रान्त बनाने का समय आ गया है । कांग्रेस अब तक जनता से यही कहती रही है कि भाषावार प्रान्त अवश्य बनेंगे । अब वह पीछे नहीं रह सकती । यह कहना कि जब तक लोग परस्पर सहमत नहीं होंगे, ये प्रान्त नहीं बनेंगे, नौकरशाही रवैया है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण नहीं है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सभी लोगों के सहमत होने का प्रश्न है, यह असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । मतभेद तो रहेगा ही । यदि सरकार इस काम को करना चाहती है, तो उसे इन मतभेदों के रहते हुए भी यह कार्य करना होगा । परन्तु यदि वह यह शर्त लगा दे कि जब तक सभी सहमत नहीं होंगे यह काम नहीं होगा तो इस का मतलब है कि इस काम को स्थगित किया जा रहा है और वह अपने वचन से पीछे हटना चाहतीं है ।

और यदि आप यह सोच रहे हैं कि अभी इस काम को किया गया तो लोगों में कटुता की भावना उत्पन्न होगी तो मेरा विचार यह है कि इस काम के न करने से और अधिक निराशा होगी । लोगों ने इस आशा से आप को वोट दिए थे कि स्वतंत्रता मिलते ही भाषावार प्रान्त बनेंगे । अब यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो लोगों में सन्तोष या मतैक्य नहीं रहेगा ।

अब मैं अपने प्रान्त की ओर आता हूं जिस के साथ इस मामले में भेदभाव बरता गया है । इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सब से पहला आयोग "दर आयोग" बना था । संविधान सभा की प्रारूप समिति की सिफारिश थी कि एक आयोग बने जो केवल आंध्र के लिए ही न हो । परन्तु

[सरदार हुक्म सिंह]

यह विधि की विडम्बना है कि उत्तरी भारत के प्रश्न पर उस आयोग ने विचार ही नहीं किया । उस ने केवल करनाटक महाराष्ट्र तथा आंध्र के प्रश्न पर ही विचार किया । (**एक माननीय सदस्य** : क्योंकि वहां कोई आन्दोलन ही नहीं था) यदि आन्दोलन के आधार पर ही इस प्रश्न पर विचार किया जाना है तो यह उचित नहीं है ।

जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन प्रारम्भ होने के कुछ पहले १० दिसम्बर १९४८ को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी । डा० पट्टाभि के ज़ोर देने पर जे० वी० पी० (जवाहर--वल्लभभाई--पट्टाभि) समिति बनी । उत्तरी भारत के सम्बन्ध में सब से बड़ा अन्याय इसी समिति ने किया । इस की राय थी कि उत्तरी भारत के प्रान्तों की सीमा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए । समिति ने यह भी कहा कि चाहे सीमा में परिवर्तन की मांग अनुचित नहीं है, फिर भी अभी इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए ।

इस प्रकार हमारे साथ भेदभाव का बर्ताव किया गया ।

प्रधान मंत्री ने कहा था कि सिख प्रान्त का तो प्रश्न ही नहीं उठता । मेरा निवेदन यह है कि जहां तक अकाली दल का सम्बन्ध है उस ने अलग सिख प्रान्त की मांग कभी नहीं की । राजनीतिक क्षेत्र में अकाली दल ही सिखों की सब से बड़ी प्रतिनिधि संस्था है । यह बात १९४८ में छपे सरकारी प्रकाशन "इण्डियन माईनारीटीज़" (भारत के अल्पसंख्यक) में भी मानी गई है । अकाली दल के एक प्रस्ताव में कहा गया है कि पंजाबी भाषा भाषी प्रान्त को उत्कट आवश्यकता है जिस से कि इस भाषा और संस्कृति की रक्षा की जा सके । अकाली दल के प्रधान ने इम्पिरियल होटल में दी गई एक पार्टी में भी यह बात स्पष्ट कर दी थी कि सिख ऐसा अलग क्षेत्र नहीं चाहते जिस में उन का बहुमत हो बल्कि वे तो भाषा तथा संस्कृति के आधार पर केवल ऐसा क्षेत्र चाहते हैं जिस से कि प्रशासन में उन को अधिक भाग मिल सके । लुधियाना में हुए एक सम्मेलन तथा १९५१ के चुनाव घोषणा पत्र में भी यह बात स्पष्ट कर दी गई थी । यह कहना ग़लत है कि हम एक अलग सिख प्रान्त चाहते हैं ।

हमारी कठिनाई यह है कि पंजाबी भाषा भाषी लोगों का एक भाग इस भाषा को अपनी नहीं कहता है । वे लोग कहते हैं--"यह हमारी भाषा नहीं है ।" और हमें कहा जाता है कि जब तक बहुमत इस बात को न माने आप की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती । बहुमत मान ले तो वह राष्ट्रीय मांग हो गई नहीं तो उसे साम्प्रदायिक मांग कह दिया । यह बड़े दुःख की बात है । आप जालंधर डिवीज़न में जा कर देखिए तो लोग पंजाबी में बात करते मिलेंगे, लेकिन उन से पूछिए कि आप की भाषा क्या है तो कहेंगे -- "हिन्दी" । यह समस्या है जो हमें हल करनी है ।

यह कहने का कोई लाभ नहीं कि चूंकि अधिकतर लोग नहीं मानते और सिख, भाषा के आधार पर प्रान्त चाहते हैं तो उन्हें वह नहीं मिलेगा । हम तो केवल अपनी भाषा तथा संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं । आप चाहे हमें पंजाबी भाषा भाषी प्रान्त न दीजिए परन्तु हमें सम्प्रदायवादी न कहिए । हम राष्ट्रवादी हैं और रहेंगे ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद--पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति में भी मेरी यह मान्यता है कि जो वचन दिया जाय उसकी रक्षा की जाय । आज ही सवेरे मैं एक समाचार पढ़ रहा था

जिस में अमरीका की कुछ चर्चा थी और लेखक ने यह टिप्पणी की थी कि चुनाव में जो वचन दिये जाते हैं उनका प्रायः यह मतलब नहीं होता कि उनके अनुसार काम किया जाय । यह पश्चिमी राजनीति का क्रम हो सकता है । मैं जानता हूं कि आजकल हम पश्चिम की नकल करने में बहुत लगे हैं लेकिन फिर भी मेरा यह निवेदन है कि जहां तक नैतिकता का और वचन पालन का सम्बन्ध है हमें अपने इस प्राचीन क्रम पर रहना चाहिये कि :

"प्राण जाहिं पर वचन न जाहीं"

मैं यह केवल वैयक्तिक कर्तव्य नहीं किन्तु दलों का कर्तव्य भी समझता हूं । कांग्रेस ने इस विषय में वचन दिया है । मैं एक कांग्रेसी के रूप में आज भी अंगद के पैर की भांति उस पर डटा रहना चाहता हूं। मेरा पैर आज उस से खिसकने वाला नहीं है । जो वचन हम ने दिया है और कई वर्षों में हमने अच्छी तरह से विचार करके जो नीति स्थिर की है कि हम भाषा-वार प्रदेश बनायेंगे उस से अणुमात्र भी, एक इंच भर भी हटना मुझ को उचित नहीं लगता। मैं तो अपने को एक कांग्रेसी होने के नाते वचन से बंधा पाता हूं । इस कारण से जो मांग कि आंध्र प्रदेश की या कन्नड़ प्रदेश की रही है मेरी उसके साथ पूरी सहानुभूति है । मैं स्वयं उनको वचन दे चुका हूं । कन्नड प्रदेश के भाई मुझ को जानते हैं । कांग्रेस के सभापति की हैसियत से आंध्र में जाने का अवसर तो मुझे नहीं पड़ा था परन्तु मैं कन्नड प्रदेश में घूमा था । मैं ने वहां देखा कि कितनी दृढ़ता के साथ वहां के भाइयों की यह इच्छा है कि वह प्रदेश अलग किया जाय और मैसूर के साथ उनका मेल हो ।

मैं ने सभापति होने के नाते उनको पूरा आश्वासन इस बात का दिया था कि उन की मांग को कांग्रेस ठीक समझती है । आज भी हमें वहीं रहना है और मेरा विश्वास है कि कांग्रेस वहीं है । परन्तु यह प्रस्ताव जो आया है उसको तो कांग्रेस दल स्वीकार नहीं करेगा । जिन भाई ने यह प्रस्ताव दिया है जिस पर हम ने इतनी चर्चा की है उन को एक मित्र के नाते एक सुझाव देना चाहता हूं । जो कुछ उनकी मांग है उसके साथ पूरी सहानुभूति रखने वाले के नाते उनसे यह कहूंगा कि वह जो चाहते थे कि इस विषय पर सरकार का ध्यान खींचा जाय वह बात लगभग पूरी हो गई और इस विषय पर काफ़ी बहस हुई लेकिन वह इस विषय पर मत लिये जाने का यत्न न करें । बहस होने के बाद प्रस्ताव को वापिस ले लें। जहां तक कांग्रेस दल का सम्बन्ध है वह पुराने वचन से बंधा हुआ है, वह भाग नहीं सकता । लेकिन इस समय वह इस प्रस्ताव का पक्ष नहीं करेगा यह आप को मालूम है । इसलिये मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप इस समय उस से नाहीं न करायें ।

मैं गवर्नमेंट को भी सलाह देता हूं कि इस मामले में अधिक देर नहीं होनी चाहिये । मेरा तो विश्वास भी है कि वह इस विषय पर विचार कर रही है किन्तु मैं उसके अन्दर की बात जानता नहीं मैं उसको यह सलाह देना चाहता हूं कि जितनी भी जल्दी हो सके, वह इस प्रश्न को उठावे । मुझ को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अधिक कठिनाइयां नहीं हैं । कुछ होंगी तो कुछ न कुछ कठिनाइयां तो सब प्रश्नों के साथ होती हैं । उनका वह सामना करे और उन को वह हल करे ।

मेरे पास बैठे हुये भाई श्री गोविन्द दास ने इस बात की चर्चा की कि मराठी भाषा प्रान्त को बनाने में सम्भव है कि मध्य

[श्री टंडन]

प्रदेश को उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों के लेने की आवश्यकता पड़े और कुछ सदस्यों की ओर से नहीं की आवाज़ आई। इस प्रकार की कुछ बातें कभी कभी होती रहती हैं, लेकिन मैं श्री गोविन्द दास को आश्वासन देता हूं कि हम अपने उत्तर प्रदेश में कभी इस बात के इच्छुक नहीं रहे हैं कि हमारा प्रदेश बढ़ता चला जाय। उनको मैं इतना बतला सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी बात है, कुछ उस में ऐसा तिलिस्म है जिसके कारण लोग स्वयं ही उस में आना चाहते हैं। उदाहरणार्थ थोड़ा समय हुआ एक प्रश्न उठा था कि विन्ध्य प्रदेश जो एक छोटा सा प्रदेश है, समाप्त हो जाय और उस की पृथक स्थिति न रहे। मुझे यह पता है कि विन्ध्य प्रदेश के लोगों की इच्छा थी कि हम अलग रहें लेकिन अगर हम समाप्त होते हैं तो हमारा अधिक अंश उत्तर-प्रदेश के साथ जाय। इस इच्छा की कभी भी आप जांच कर सकते हैं। वहां के जो मुखिया लोग थे बुंदेलखण्ड, रीवां आदि के उनकी यही इच्छा थी कि यदि किसी दूसरे प्रदेश में उन्हें जाना है तो उत्तर प्रदेश में जायें। अगर वह मध्य प्रदेश के साथ जाते हैं तो हम उन को आश्वासन देते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश वालों की तरफ से उन को रोकने के लिये कोई यत्न नहीं होगा।

श्री आर० एस० तिवारी (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़) : मैं ने कहा था कि विन्ध्य प्रदेश ही एक बड़ा प्रदेश बनाया जाय।

श्री टंडन : हमारे भाई श्री राज बहादुर जो आज गवर्नमेंट के एक अंग हैं इस समय दिखाई नहीं देते उन को यह मालूम है कि जब राजस्थान के बनाने का विषय आया और अलवर और भरतपुर के राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में जाने का सवाल पेश हुआ तब अलवर और भरतपुर इन दोनों के मुखिया लोगों की यह इच्छा थी कि वे उत्तर प्रदेश के साथ जायें। इन दोनों की निश्चित इच्छा की बात मुझे मालूम है। अलवर उस समय मुझे कांग्रेस के काम के सिलसिले में जाना पड़ा था और वहां के भाई और भरतपुर के भाइयों ने मुझ से सलाह मांगी और अपनी स्थिति बताई कि उन के व्यापारी लोग राजस्थान के साथ नहीं जाना चाहते और उत्तर प्रदेश के साथ आना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से उन का पुराना सम्बन्ध है। मैं ने यह बात उस समय फैलाई नहीं लेकिन अब बता सकता हूं कि मैं ने उन को यह सलाह दी और बहुत बलपूर्वक सलाह दी कि आप उत्तर प्रदेश में आने का यत्न न करें, वरन् आप राजस्थान में जायें। मेरा उन को ऐसी सलाह देना अर्थपूर्ण था। मैं चाहता था कि जिन लोगों में सांस्कृतिक दृष्टि है और जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सम्पर्क में आकर कुछ भारतीय संस्कृति के अंगों में प्रगति की है, वे राजस्थान के साथ जायें और उस प्रदेश को सांस्कृतिक सहायता दें।

मेरी अत्यधिक इच्छा यह है कि हमारी एक केन्द्रीय संस्कृति भारतीय संस्कृति का फैलाव हो। मेरी यह दृष्टि नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसको कुछ और बढ़ा लें। यदि इस में से दो जिले दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो मैं इस में बाधक होने वाला नहीं हूं। मैं इस बात का पोषक हूं कि भारत की जो अपनी संस्कृति है जिस को मैं भारतीय संस्कृति कहा करता हूं वह चारों ओर फैले, वह दृढ़ हो और भारत की एकता की भावना दिन पर दिन हमारे देश में बढ़े। यह मुख्य बात है।

यदि मैं यह समझता कि इन भाषावार प्रदेशों के कारण इस कार्य में कुछ आघात

पहुंचेगा उस एकता की भावना को कुछ चोट पहुंचेगी तो मैं भाषावार प्रदेशों का पक्ष कदापि न लेता । लेकिन मेरा हृदय कहता है कि आज छोटी छोटी बातों में कई प्रदेशों को जो कठिनाइयां हो रही हैं वे हट जायेंगी और उन के लिये रास्ता आसान हो जायेगा । मैं अनुभव करता हूं कि मध्य प्रदेश में मराठी और हिन्दी का प्रश्न खड़ा हुआ है मैं अनुभव करता हूं कि मद्रास प्रदेश में प्रति दिन भाषा सम्बन्धी कठिनाइयां होती हैं । आप चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा हटे हिन्दी फैले लेकिन हिन्दी द्वारा काम करने में उन्हें कठिनाई है तामिल में बोलें तो उन के लिये कठिनाई है क्योंकि बहुत से लोग उस को नहीं समझेंगे, तैलगू बोली जाय तो दूसरे लोग नहीं समझेंगे इसी प्रकार कन्नड और मलयालम में कठिनाई होती है । परिणाम यह होता है कि अंग्रेजी चली आती है । इसी प्रकार और स्थानों में कठिनाई है । बम्बई वालों ने कहा कि जो उनकी भाषायें हैं वे ज़िलों के स्तर पर चलें और ऊपर के स्तर पर हिन्दी चले । यह स्वाभाविक ही था । मैं चाहता हूं कि जहां तक हो हम यह सुविधा दें कि जनता अपनी अपनी विधान सभाओं में अपनी भाषा में बोल सकें । हमको अपने उत्तर प्रदेश में तनिक भी कठिनाई नहीं है । फारसी लिपि हम पर अंग्रेजों की कृपा से लाद दी गई थी, कुछ पहले से भी थी । हम उस से छुटकारा पा गये । हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वहां हिन्दू, मुसलमान सब मिल कर हिन्दी भाषा में और एक भारतीय लिपि अर्थात् नागरी लिपि में अपना कार्य कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि जो लाभ हम को है वही लाभ हमारी भाषा की जो बहनें हैं वह उठायें और दूसरे प्रदेशों के रहने वाले भाई भी स्वाधीन हो कर उसी ढंग से एक भाषा में अपना काम कर सकें ।

मेरी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो इस काम में शीघ्रता कराना चाहते हैं । लेकिन आज इस प्रस्ताव के स्वीकार न करने के पक्ष में हमारे दल का निश्चय है । मैं भी उसके साथ हूं । किन्तु मैं अपने माननीय मंत्री जी को और गवर्नमेंट को यह सुझाव देता हूं कि जहां तक हो सके इस मामले में देरी न करें । उससे हमारे देश को कोई हानि पहुंचेगी ऐसा कोई भय न करें । इससे लाभ ही होगा और लोगों की भावनायें हमारे साथ आयेंगी । जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट इस कार्य को उठा ले यही मेरा कहना है ।

श्री ए० के० गोपालन : श्रीमान्, अब वाद विवाद समाप्त किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक और वक्ता को बोलने दूंगा और पौने एक बजे माननीय मंत्री से बोलने के लिये कहूंगा ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्री टंडन के भाषण से कांग्रेस दल की स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने भी इस प्रश्न को स्पष्ट कर दिया है और वे ऐसा करते समय किसी ओर झुके नहीं । उन्होंने वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुये अपना रवैया स्पष्ट किया है ।

मैं तो व्यावहारिक आदमी हूं और वास्तविकताओं को सदा अपने सामने रखता हूं । आदर्श के दृष्टिकोण से तो मैं माननीय प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत हो सकता हूं कि भाषावार प्रान्तों का कोई प्रश्न ही न रहे और सारा देश ७० या ८० प्रान्तों में विभाजित कर दिया जाय । परन्तु आज हमारे सामने विभिन्न समस्यायें हैं । भाषावार प्रान्त बनने चाहियें और बनेंगे और हमें यह डर नहीं होना चाहिये कि उन के बनने से फूट बढ़ेगी ।

[डा० पी० एस० देशमुख]

यह बड़े दुःख की बात है कि मराठी भाषा की कोई मातृभूमि नहीं है। हम अपने को मराठी नहीं बल्कि महाराष्ट्रियन कहते हैं जिस से कि लोगों को यह डर न रहे कि कहीं हम सारे भारत पर आक्रमण कर के उसे जीत लेंगे। बम्बई के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वह महाराष्ट्र के लोगों के खून से बना है। उन्हीं के खून से हमारी गंध, चोटी तथा यज्ञोपवीत की रक्षा हुई है। इसलिये महाराष्ट्र वालों को बम्बई नगर से वंचित नहीं किया जा सकता।

डा० लंका सुन्दरम् का यह कहना कि बम्बई नगर को अलग प्रान्त बना दिया जाय, व्यवहार्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि संयुक्त महाराष्ट्र बने। मुझे इस की कठिनाइयों का अनुभव है परन्तु हमें उन कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिये।

यदि किसी कारण से संयुक्त महाराष्ट्र न बन सके तो मध्य प्रदेश के मराठी भाषा भाषी क्षेत्रों को हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों से फौरन अलग कर देना चाहिये। दर कमेटी की रिपोर्ट में भी यही बात है। प्रधान मंत्री को चाहिये कि सब से पहले यही काम करें कि ८० लाख लोगों के इस मराठी भाषी क्षेत्र को हिन्दी भाषी क्षेत्र से अलग कर दें, जिस का ८ या ९ करोड़ रुपये का राजस्व है और जिस में रूई पैदा होती है। मैं प्रधान मंत्री को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस में कोई कठिनाई नहीं होगी और यह आत्म-निर्भर प्रान्त होगा। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश विधान सभा ने एक राय से ऐसा प्रस्ताव पास किया था। दर कमेटी ने भी कहा है कि यह लोगों की मांग है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : प्रधान मंत्री एक बार विस्तार-पूर्वक बोल चुके हैं और उन्होंने उन बातों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये जो उस दिन वक्ताओं ने कहीं थीं। आज बड़ी जोरदार बहस हुई है और कई दृष्टिकोण हमारे सामने रखे गये हैं। मेरा निवेदन है कि आज के वादविवाद को देखते हुये प्रधान मंत्री के विचारों का औचित्य और भी अधिक हो जाता है। मैं एक भारतीय के नाते बोल रहा हूं क्योंकि मेरा कई राज्यों से सम्बन्ध है। बंगाली मुझे बंगाली मानेंगे। यदि उड़िया लोग मुझे स्वीकार करें (**श्री बो० दास** : बड़ी खुशी से) तो मैं उड़ीसा का हूं। मैं आसामी भी हूं और बिहारी भी। मैं मराठा होने का दावा तो नहीं करता परन्तु मैं मध्यभारती भी हूं। मैं ने विवाह राजस्थान में किया। शिक्षा पंजाब में पाई और उत्तर प्रदेश से आया हूं। इसलिये इस मामले में मैं तटस्थ हो कर बात करता हूं।

आज बहुत सी बातें कही गई हैं। अर्थात् कांग्रेस ने भाषावार प्रान्त बनाने का वचन दे रखा है और उसे पूरा करने में आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये, इत्यादि इत्यादि। परन्तु प्रधान मंत्री ने जिस बात पर जोर दिया था अर्थात् भारत की एकता उस पर जोर नहीं दिया गया। यह प्रश्न सिद्धान्त का नहीं कि यह बात अच्छी है या बुरी। इस पर तो सभी सहमत हैं। कांग्रेस ने इस का वचन तो पिछले ३० साल से दे रखा है। सच तो यह है कि कांग्रेस ने अपने संगठन का विभाजन भी भाषा के आधार पर ही किया है। कांग्रेस ने ही भाषावार प्रान्तों के लिये आवाज उठाई थी। परन्तु आज, १९५२ में १९४६, १९३१ या १९४८ के संकल्प पढ़ कर सुनाने का कोई लाभ नहीं जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री गोपालन ने किया है। आज तो आवश्यकता इस बात

की है कि विश्व की परिस्थितियों को देखते हुये कोई ऐसा काम न करें जिस से मतभेद बढ़े । यह तो आज के वाद विवाद से ही स्पष्ट है । सीमा आयोग बनाया जाय तो मुख्य बातों पर लोग सहमत हो सकते हैं । चार गांव इधर हुये या एक सब-डिवीजन या ताल्लुका उधर हुआ तो क्या अन्तर पड़ता है । ये मामूली बातें हैं । हम सभी जिम्मेदार लोग हैं और माननीय सदस्य बड़े संयम से बोले हैं । परन्तु मतभेद बहुत है । इसलिये जहां हमें इस समस्या को निपठाना है—जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री टंडन ने कहा कि हमें यह काम करना ही पड़ेगा—वहां साथ ही, हमें दुनिया की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना है । आज जब कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी अस्थिर है, हमें मतभेद नहीं रखने चाहियें ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : हम चाहते हैं कि विविधता में एकता रहें ।

डा० काटजू : क्या यह ठीक है कि सीमा आयोग बना कर या भाषावार प्रान्तों के लिये यह जांच प्रारम्भ कर के हम ऐसे विवाद खड़े कर लें जिन पर जनता में मतभेद हो ? मैं किसी दल के दृष्टिकोण से नहीं बड़े वृहत् दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं । मैं तीन साल से अधिक समय तक बंगाल में रहा हूं । पूर्वी बंगाल से वहां विस्थापित लोग आते हैं । और आप चाहे कुछ भी क्यों न करें वे और कहीं नहीं जायेंगे । वे उड़ीसा, बिहार पंजाब या हैदराबाद में नहीं जायेंगे । आप कुछ परिवारों को भूमि दे दें तो वे अण्डमान चले जायेंगे । यह बड़ी कठिन समस्या है और हमें इस को हल करना है । परन्तु क्या यह समय उपयुक्त है ? क्या हम पांच छै वर्ष ठहर नहीं सक ते? और मैं यह सुझाव देता हूं कि सन्तोष करना आवश्यक ह । ऐसा कोई संकट नहीं आया है कि जैसे कोई टाइफाइड का रोगी हो और उसे तत्काल ही पेनिसिलिन न दिये जाने पर उस को बचाया ही न जा सकता हो ।

उडीसा के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । उस का एक जिला सम्बलपुर है । पहले वह मध्य प्रान्त का भाग था । मेरा विचार है कि उस में उड़िया बीलने वालों का बहुमत है । सरकारी कागजों में इस सम्बन्ध में बड़ा विवाद चला । तीस या चालीस वर्षों तक सी० पी० के ले० गवर्नर या चीफ कमिश्नर भारत सरकार को ऐसे पत्र लिखते रहे कि—"यह उड़िया भाषा भाषी क्षेत्र है, मैं इसका प्रबन्ध नहीं कर सकतां ।" उन दिनों में उड़ीसा अविभाजित बंगाल का भाग था और उसे उडीसा डिवीजन कहा जाता था । तत्कालीन बंगाल का ले० गवर्नर बार बार यही कहता था कि मैं इस का प्रबन्ध उचित रूप से नहीं कर सकता । अन्त में सी० पी० के ले० गवर्नर ने कहा—"इसे (सम्बलपुर को) ले लो" अन्त में भारत सरकार ने बंगाल पर अपना निर्णय थोप दिया और सम्बलपुर बंगाल में आ गया और उड़ीसा डिवीजन का पांचवा जिला बना । किसी ने कुछ नहीं कहा । प्रशासन की सुविधा, संस्कृति की सुविधा इसी में है । महत्व इस बात का है कि भारत की एकता तथा सुरक्षा को बनाये रखा जाय और ऐसा कोई काम न किया जाय जिस से मतभेद या प्रतिद्वन्दिता बढ़े ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । हमारा देश बहुत बड़ा है और इस में बहुत सी बोलियां तथा भाषायें हैं । मैं उस दिन की कल्पना करता हूं कि जब हम में से कोई भी किसी भी राज्य में जा कर जनता से प्रत्यक्ष बात कर सके और अंग्रेजी द्वारा नहीं राष्ट्रिय भाषा द्वारा । राष्ट्र होने के लिये राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है । मैं अब इस बात में नहीं पड़ना चाहता कि राष्ट्रभाषा

[डा० जाटजू]

कौन सी हो । परन्तु मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश को भाषा के आधार पर विभाजित करने के आन्दोलन के साथ ही साथ राष्ट्रभाषा का भी विकास कीजिये जिस से कि राज्यों में सांस्कृतिक एकता के साथ सारे भारत की एकता की भावना भी उत्पन्न हो । आज मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा है जिस से कि सभी मेरी बात समझ सकें । हिन्दी बोलने वाले मेरे माननीय मित्रों की बात २० प्रतिशत सदस्यों को समझ नहीं आती । अगर मैं मद्रास या मालाबार जाऊं तो अंग्रेजी में बोलूंगा परन्तु यहां अंग्रेजी तो रहेगी नहीं । इसलिये यदि इस के स्थान में और कोई भाषा लाने से पहले हम देश को जल्दी जल्दी भाषा के आधार पर बांट दें तो देश में फूट पड़ जाने का डर है । मैं इस बात को रोकना चाहता हूं । मैं यह नहीं कहता कि भाषावार प्रान्त राष्ट्रभाषा का विकास नहीं चाहेंगे । चाहे वह कोई भी भाषा हो । खैर संविधान ने उस का निर्णय तो कर दिया है और उसी आधार पर कुछ न कुछ किया जाना चाहिये । भाषा के आधार पर देश के विभाजन पर जोर देने का फल बंगाल और बिहार या अन्य राज्यों के परस्पर सम्बन्धों पर ईश्वर जाने कैसा पडगा । इन से कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं और मैं उन की चर्चा नहीं करना चाहता । दो बडी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिये ; एक तो यह कि चाहे कुछ हो देश की एकता बनाई रखी जाय और दूसरी यह कि उस एकता को सांझी राष्ट्रभाषा द्वारा और एक दूसरे से मिलने की इच्छा द्वारा बढ़ावा दिया जाय ।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता । सारे दृष्टिकोण रखे गये हैं और सरकार के विचार सभी को मालूम हैं । हम प्रशासन सम्बन्धी सुविधा चाहते हैं और वित्तीय आर्थिक तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये भाषावार प्रान्त इस सुविधा को बढ़ाते हों, तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरु) : श्रीमान् उस दिन मैं ने माननीय प्रधान मंत्री से विभाजन समिति के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था । उस का उत्तर नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब और प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे । अब मैं संशोधनों को सदन के मत के लिय रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

कि मूल संकल्प के स्थान में निम्नलिखित को आदिष्ट किया जाय :

"This House is of opinion that necessary action should be taken immediately to regroup the existing States in South India on sound economic and linguistic principles and an impartial Boundary Commission should be established consisting of ministers, members of legislatures and officials to re-draw the boundaries accordingly."

("इस सदन का मत है कि दक्षिण भारत के प्रस्तुत राज्यों को ठोस आर्थिक तथा भाषा के सिद्धान्तों के आधार पर पुनर्संगठित करने के तत्काल ही आवश्यक कार्यवाही की जाय और उसी के अनु-

सार सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिये एक निष्पक्ष सीमा आयोग बनाया जाय जिस में मंत्री, विधान सभाओं के सदस्य तथा अधिकारी हों")

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि "opinion that" ("विचार है कि") के पश्चात् निम्न लिखित को निविष्ट किया जाय :

" a time has come for the redistribution of provinces on linguistic basis with a view to ensure opportunity for homogeneous, social, cultural and economic development of the different provinces and therefore"

("समय आ गया है कि प्रान्तों को भाषा के आधार पर फिर से विभाजित किया जाय जिस से कि विभिन्न प्रान्तों के एकजातीय सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास का अवसर प्राप्त हो सके और इसलिये")

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि "linguistic basis" ("भाषा के आधार") शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को निविष्ट किया जाय :

"keeping in view the economic liability, geographical contiguity and cultural affinity."

("आर्थिक दृष्टि से जीवित रहने की योग्यता, भूगोलिक सान्निध्य, और सांस्कृतिक समीपता को ध्यान में रखते हुये")

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि " linguistic basis" ("भाषा के आधार") शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को निविष्ट किया जाय :

"keeping in view the considerations of defence and financial self-sufficiency."

("रक्षा तथा वित्तीय आत्मनिर्भरता सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखते हुये")

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि "linguistic basis," ("भाषा के आधार") शब्दों से ले कर अन्त तक जितने भी शब्द आते हैं, उन के स्थान पर निम्न लिखित को आदिष्ट किया जाय :

"and that to begin with Hyderabed State should be disintegrated into three parts namely Karnatak, Andhra and Maharashtra and the boundaries of the proposed linguistic provinces in general should be readjusted in accordance with the majority of the opinion as exercised by votes on adult

[उपाध्यक्ष महोदय]

franchise in the respective areas."

("और प्रारम्भ में, हैदराबाद राज्य को तीन भागों, अर्थात् करनाटक, आंध्र और महाराष्ट्र में विभक्त कर दिया जाय और सामान्य रूप से प्रस्तावित भाषावार प्रान्तों की सीमायें, सम्बद्ध क्षेत्रों में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रकट किये गये मतों के आधिक्य के अनुसार पुनर्निर्धारित की जायं")

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि "and that the boundaries of the existing States be readjusted accordingly"

("और प्रस्तुत राज्यों की सीमाएं उस के अनुसार पूनर्निर्धारित की जायं") शब्दों के स्थान में निम्नलिखत को आदिष्ट किया जाय :

"and that a commission be appointed forthwith to take up the question of rectification of boundaries in the provinces of Northern India."

("और कि उत्तरी भारत के प्रान्तों की सीमायें ठीक ठीक करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये फौरन ही एक आयोग नियक्त किया जाय")

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि "and that the boundaries of the existing States be readjusted accordingly" ("और प्रस्तुत राज्यों की सीमायें उस के अनुसार पुनर्निर्धारित की जायं") शब्दों के स्थान में निम्नलिखित को आदिष्ट किया जाय :

"and that a Boundary Commission be appointed to report to Parliament as to how the boundaries of the States should be readjusted or re-distributed keeping in view the considerations of economy, defence, geographical contiguity and cultural affinity"

("और कि एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाय जो संसद् को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दे कि मितव्ययता रक्षा भूगोलिक सान्निध्यता और सांस्कृतिक समीपता सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखते हुये राज्यों की सीमायें कैसे पुनर्निर्धारित या पुनर्विभाजित की जायं")

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि " existing States" (प्रस्तुत राज्यों) शब्दों के पश्चात् "including those of Northern India" (उत्तरी भारत के राज्यों सहित) इन शब्दों का निवेश किया जाय ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि " readjusted " (पुनर्निर्धारित) शब्द के पश्चात् "without

insisting on the agreement" on the part of regional units concerned ("सम्बद्ध प्रादेशिक इकाइयों की सहमति पर ज़ोर दिये बिना") इन शब्दों का निवेश किया जाय ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिय जाय :

"keeping in view administrative convenience, economic viability and geographical contiguity."

("प्रशासनीय सुविधा, आर्थिक दृष्टि से जीवित रहने की योग्यता, और भूगोलिक सान्निध्य को ध्यान में रखते हुये")

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:

"by appointing a boundary Commission " (एक सीमा) आयोग की नियुक्ति द्वारा)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:

"and for that purpose a high-powered commission be appointed to decide the future of territories over which there is controversy between any two of the new States. "

("और उस प्रयोजन के लिये एक बड़े अधिकारों वाला आयोग नियुक्त किया जाय जो कि उन क्षेत्रों के भविष्य का निर्णय करे जिन के सम्बन्ध में किन्हीं दो नये राज्यों के बीच मतभेद हो ।")

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:

"This House is further of opinion that the State of Hyderabad be forthwith disintegrated and its different linguistic parts be integrated with the adjoining similar linguistic units."

("इस सदन का यह भी मत है कि हैदराबाद राज्य के तत्काल ही टुकड़े कर दिये जायें और इस के विभिन्न भाषाओं वाले भाग साथ वाले वैसी ही भाषा वाले क्षेत्रों के साथ मिला दिय जायें ।")

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:

"and that in view of the changed circumstances arising out of the merger of Mayurbhanj in Orissa and consequent geographical contiguity, Seraikella and Kharswan be immedia-

[उपाध्यक्ष महोदय]

tely restored to Orissa in accrodance with the terms of the merger agreements."

("और मयूरभंज के उड़ीसा में मिलाये जाने से उत्पन्न बदली हुई परिस्थितियों तथा उस के फलस्वरूप भूगोलिक सान्निध्यता को ध्यान में रखते हुये विलय करारों की शर्तों के अनुसार सराये केला और खरसवान, उड़ीसा को लौटा दिये जायें।")

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मूल संकल्प की ओर आइये। प्रश्न यह है:

"This House is of opinion that immediate steps should be taken to redistribute the States on a linguistic basis and that the boundaries of the existing States be readjusted accordingly."

("इस सदन का मत है कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्विभाजन करने के लिये तत्काल ही कार्यवाही की जाय और प्रस्तुत राज्यों की सीमायें उसी के अनुसार पुनर्निर्धारित की जायें।")

सदन में मतविभाजन हुआ:

पक्ष	७७
विपक्ष	२६१

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक सोमवार १४ जुलाई १९५२ के साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।